हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 27 मार्च, 2025 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में विधान सभा, शिमला -171004 में 11.00 बज़े पूर्वाह्न आरम्भ हुई ।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

27.03.2025/1100/टी0सी0वी0/एच0के0 -1

अल्प सूचना प्रश्न

अध्यक्ष : आज एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन सूचीबद्ध है और यह सूची में पहले स्थान पर लिया गया है। यह प्रश्न माननीय सदस्य, डॉ0 जनक राज द्वारा किया गया है।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013, 2015 और वर्ष 2024 में माइनिंग पॉलिसी बनाई गई थी। इस माइनिंग पॉलिसी में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि 5 बीघा से अधिक सरकारी जमीन को बिना नीलामी किए किसी को लीज पर माइनिंग के लिए दिया जा सकता है। परंतु जिस विषय के संदर्भ में मैंने यह शॉर्ट नोटिस दिया है, वहां पर किसी इच्छुक व्यक्ति को 165 बीघा सरकारी जमीन नीतिगत दिशा-निर्देशों को दरकिनार करते हुए आबटित करने की योजना बनाई जा रही है या फिर यह आबंटन पहले ही कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि एक ओर प्रदेश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और दूसरी ओर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार जब मैंने इस मामले की जांच की और तीनों नीतियों (2013, 2015 और वर्ष 2024) को पढ़ा तो कहीं भी यह प्रावधान नहीं मिला कि 5 बीघा से अधिक सरकारी भूमि को बिना नीलामी किए माइनिंग के लिए दिया जा सकता है। परंतु जिस विषय को उठाया गया है, उसके अनुसार हमारे पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 165 बीघा सरकारी जमीन को किसी व्यक्ति को आबंटित करने की योजना बनाई जा रही है। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि यदि सरकार इस जमीन को नीलामी के माध्यम से आबंटित करती है तो सरकारी खजाने में करोड़ों रुपये का इजाफा हो सकता है। मैं इस विषय पर आश्वासन चाहता हूं कि यदि यह प्रक्रिया नियमों के विपरीत हो रही है तो इसे रोका जाए। साथ ही, सरकार यह भी स्पष्ट करे कि क्या 5 बीघा से अधिक सरकारी भूमि को बिना नीलामी किए किसी को लीज पर दिया जा सकता है या नहीं ?

27.03.2025/1100/टी0सी0वी0/एच0के0 -2

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है जब इस तरह का प्रश्न पहले स्थान पर लिया गया है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें इतनी क्या आपातकालीन स्थिति है या माननीय सदस्य को इससे संबंधित कोई विशेष अर्जेंसी के क्या कारण है? जहां तक सरकारी भूमि को लीज पर देने की प्रक्रिया का प्रश्न है तो अप्रैल, 2018 तक इसके लिए नियम मौजूद थे। इस मामले में जिस व्यक्ति (राजेंद्र सिंह) ने आवेदन किया था, उसने वर्ष 2015 में इसके लिए आवेदन किया था। इसके बाद वर्ष 2015 में इस भूमि की जॉइंट इंस्पेक्शन की गई थी और निरीक्षण के पश्चात लीज को स्वीकृति दे दी गई थी। लीज की स्वीकृति के बाद इस मामले में एनवायरमैंट क्लीयरेंस भी वर्ष 2015 में ही प्राप्त कर ली गई थी। इसके बाद वर्ष 2016 में इसे अंतिम रूप से स्वीकृति दे दी गई और वर्ष 2017 में लीज एग्जीक्यूट भी कर दी गई थी। तीन महीने तक इस स्थान पर कार्य भी चला, लेकिन सरकार बदलने के बाद पूर्व सरकार ने इस लीज को निलंबित कर दिया। जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी के उस समय के डी0एफ0ओ0, चुराह ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया था कि जिस भूमि का डायवर्जन किया गया था, वह पहले से ही एन0एच0पी0सी0 के नाम पर थी और

एन0एस0 द्वारा जारी ...

27-03-2025/1105/एन0एस0-वाई0के0/1

प्रश्न संख्या : 1 अल्प सूचना -----क्रमागत

उद्योग मंत्री ----जारी

एन0एच0पी0सी0 ने रेजरवायर खाली करने के लिए कहा क्योंकि सिल्ट, मलबा और पत्थर आते हैं तो इसमें माइनिंग होनी चाहिए। एन0एच0पी0सी0 ने राजिन्द्र सिंह को एन0ओ0सी0 दे दी। रूल्ज व रेगुलेशन के अनुसार इसने केस को मूव कर दिया। सरकार चेंज होने के बाद इसकी लीज को सस्पेंड कर दिया गया। फॉरेस्ट क्लीयरेंस एन0एच0पी0सी0 के नाम थी और सरकार ने उसमें ऑब्जैक्शन लगाया कि माइनिंग

किसके नाम पर है? माइनिंग डिपार्टमैंट ने केस को प्रासैस किया और कहा एन0पी0वी0 (Net Present Value) का पैसा यही व्यक्ति जमा करवाएगा। पूर्व सरकार ने इस केस को भारत सरकार को भेजा और वर्ष 2021 में भारत सरकार ने फॉरैस्ट क्लीयरेंस का एन0ओ0सी0 दे दिया। उसके बाद 58,04,420 रुपये एन0पी0वी0 का जमा करवा दिया गया और फिर वर्ष 2021 में पर्यावरण मंजूरी व अन्य औपचारिकताएं पूरी हुईं। उसके बाद यह केस कैबिनेट में लगा और फिर विधि विभाग व फॉरैस्ट विभाग को भेजा गया। इन दोनों विभागों ने कहा कि इस व्यक्ति ने फॉरैस्ट क्लीयरेंसिज भारत सरकार से ली है और एन0एच0पी0सी0 का कोई ऑब्जैक्शन नहीं है तथा इसको यह लीज दी जा सकती है। तब सरकार ने उसको सैंक्शन कर दिया था। अब माननीय सदस्य जो कह रह हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2018 के बाद सरकारी भूमि की ऑक्शन ही होगी और लीज नहीं दी जाएगी। मगर जिस व्यक्ति को लीज वर्ष 2018 से पहले दी गई है उसको हमें रिन्यू करना पड़ता है। जैसे श्री जय राम ठाकुर जी व कई विधायकों ने उल्लेख किया कि 3,000 बीघे सरकारी भूमि लीज पर दे दी गई है तो वह वर्ष 2018 से पहले दी है। उन्होंने अपना कारोबार क्रशर व माइनिंग चालू किया है। कानून यह है कि हमें उसको समय-समय पर एक्सटेंड करना पड़ेगा। मगर नई लीज को हम सरकारी भूमि में नहीं दे सकते हैं। आप जिस केस का उल्लेख कर रहे हैं यह वह केस नहीं है।

27-03-2025/1105/एन0एस0-वाई0के0/2

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी संसाधनों को बिना ऑक्शन किए लीज पर देना तर्कसंगत है? उद्योग मंत्री जी का जो जवाब था तो यह बात ठीक है कि अगर पहले एक्सटेंशन दी है तो उसको रिन्यू करना है। मेरा सुझाव है कि रिन्यू करते समय यह कंडीशन लगाई जाए कि इसको ऑक्शन किया जाए। क्योंकि जैसी प्रदेश की वित्तीय स्थिति है तो उसको देखते हुए हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए। मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि यह रेट्रोस्पेक्टिव की बात नहीं है लेकिन आज इस सदन में घोषणा हो कि किसी भी स्तर पर कोई भी सरकारी संसाधन बिना ऑक्शन के आबंटित नहीं होगा।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि वर्ष 2018 के बाद हिमाचल प्रदेश में सरकारी जमीन की ऑक्शन ही होती है और लीज पर नहीं दिया जाता है। मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि वर्ष 2016, वर्ष 2017 व वर्ष 2019 में ऑक्शन हुई तो लगभग 323 लीजिज यमुना व ब्यास के किनारे कांगड़ा और चम्बा में बहुत सारी ऑक्शन्ज हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें उसमें केवल दो लीजिज में एफ0सी0ए0 मिला है क्योंकि भारत सरकार से एफ0सी0ए0 लाना भी बहुत कठिन प्रक्रिया है। अब एन0पी0वी0 भी जमा होता है और भारत सरकार से क्लीयरेंस भी लेनी पड़ती है। माननीय सदस्य जिसके बारे में कह रहे हैं तो यह वर्ष 2018 से पहले का है। इसकी लीज एग्जिक्यूट हो गई थी, इसका एल0ओ0आई0 व पर्यावरण मंजूरी हो गई थी लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से लीज को सस्पेंड करना पड़ा। जो ऑब्जैक्शन लगाए गए थे कि जो व्यक्ति लीज करेगा तो वह अपने नाम पर करेगा। उन्होंने इसको कर दिया और उन्होंने 56 लाख रुपये एन0पी0वी0 भी जमा करवा दिया है तो सरकार को उसको करना पड़ेगा। **मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि वर्ष 2018 के बाद चाहे भाजपा की सरकार रही और चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही तो विभाग द्वारा कोई भी सरकारी भूमि लीज पर नहीं दी गई। उसकी ऑक्शन ही हुई है। अब कोई ऐसा केस नहीं आएगा और अगर आएगा तो आप हमें उसकी जानकारी दें।**

डॉ0 जनक राज ...आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

27.03.2025/1110/RKS/AG-1

प्रश्न संख्याः 1.... जारी

डॉ0 जनक राजः अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर मुख्य मंत्री जी से हस्तक्षेप चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को यह आश्वासन दें कि प्रदेश के संसाधनों को बिना ऑक्शन किए नहीं दिया जाएगा। यदि पूर्व में ऐसा हुआ है तो उस अधिसूचना को रद्द किया जाए ताकि प्रदेश के राजस्व में इजाफा हो।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो जानकारी दे रहे हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मैं जानता हूं कि आपका विषय क्या है लेकिन आप इस केस को स्टडी करें तो

इसकी लीज डीड सैंक्शन वर्ष 2018 से पहले की है। इस केस को टेम्परेरी सस्पेंड किया गया था। यदि सरकार ऐसा करने की कोशिश करेगी तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर कोर्ट जा सकता है। फिर हम ऐसा काम क्यों करें जिससे हमारी सरकार की कोर्ट में किरकिरी हो? उस व्यक्ति ने एन.पी.वी. जमा करवा दिया है और भारत सरकार से भी इसकी फोरेस्ट क्लीयरेंस मिल गई है। हमारे जितने भी रेजरवायर्ज हैं उनमें सिल्ट, पत्थर और रेत आ रहा है लेकिन इस केस में NHPC ने भी एन.ओ.सी. दे दी है। हमने पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद ही इस लीज सैंक्शन की है। इसमें कोई अनियमितताएं और कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस व्यक्ति ने कानून के अनुसार सारी चीजों को फॉलो करते हुए भारत सरकार से फोरेस्ट क्लीयरेंस ली है। उसने 55 लाख रुपये एन.पी.वी. जमा करवा दिया है। जब पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है तो सरकार को उस कार्य को करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सारी प्रक्रिया में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री संजय अवस्थीः अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी सदस्य ने मिनरल पॉलिसी पर प्रश्न किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सीमेंट उद्योग स्थापित हैं। वहां पर काफी एरियाज माइनिंग लीज पर दिया गया है। मेरा प्रतिपूरक प्रश्न यह है कि जो समय-समय पर मिनरल पॉलिसी में अमेंडमेंट होती रहती है उसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है उसके अनुसार लीज मनी इंक्रीज हुई है। जहां सीमेंट उद्योग स्थापित हैं और जिन्होंने वहां पर माइनिंग लीज ले रखी है, क्या उन्होंने न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से पैसे देने शुरू कर दिए हैं? यदि नहीं, तो इससे सरकार को कितना रेवेन्यू अर्जित होना है?

27.03.2025/1110/RKS/AG-2

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की पॉलिसी के अनुसार, वर्ष 2015 से पहले लाइमस्टोन की साइट को लीज में देते थे। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने इसमें अमेंडमेंट की और साइट को ऑक्शन करने के लिए कहा। हिमाचल प्रदेश में जो बरमाणा, दाड़लाघाट और अंबुजा सीमेंट प्लांट की इकाइयां हैं उनकी लीज वर्ष 2015 से पहले दी गई हैं। इन साइट्स को लगभग 50 वर्ष की लीज पर दिया गया है। इनसे हमें रॉयल्टी के रूप में पैसा मिलता है। अब नए कानून के अनुसार साइट्स को ऑक्शन किया जाता है और उसके बाद अपफ्रंट मनी बीडिंग होती है। जो बीडिंग में अपफ्रंट मनी निर्धारित किया होता

है उसे कंपनी को जमा करवाना होता है। यह प्रक्रिया वर्ष 2015 के बाद की है। माननीय सदस्य जो लाइमस्टोन की बात कर रहे हैं, ये लीजिज वर्ष 2015 से पहले की सैंक्शन हैं। मान लीजिए जो लीजिज 30 या 50 साल के लिए दी हैं, जब यह पीरियड खत्म हो जाएगा तो इसको हमें दोबारा से ऑक्शन करना पड़ेगा। हम इन लीजिज को रिन्यू नहीं कर सकते। इस तरह से हमारे जिला सिरमौर के भी कई केस फंसे हैं। वे केस भी कोर्ट में गए हैं। यहां पर चंबा, गुम्मा और अलसिंडी वाले सीमेंट प्लांट्स के बारे में कई बार बात की जाती है। अब समस्या यह है कि जो huge chunk of limestone है, उसकी अपफ्रंट मनी डेढ़-डेढ़ सौ करोड़ या 2-2 सौ करोड़ रुपये है और डेढ़-डेढ़ सौ करोड़ रुपये देना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। हमने कोशिश की है कि जो छोटे-छोटे पहाड़ हैं उनको दो या तीन टुकड़ों में ब्रेक-अप करेंगे ताकि इसका अपफ्रंट मनी कम आए और छोटे सीमेंट प्लांट स्थापित हो सकें।

श्री बी0एस0द्वारा...जारी

27.03.2025/1115/बी.एस./ए.जी./-1

अल्प सूचना प्रश्न जारी....

उद्योग मंत्री जारी...

हमारी कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में छोटे सीमेंट प्लांट्स लगें और हमने विभाग को कह दिया और उस प्रक्रिया में हम इसको कर रहे हैं।

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे जिनकी लीजिज पुराने टाइम से चल रही हैं और उनकी एफ0सी0ए0 क्लीयरेंस भी दिल्ली सरकार से हुई हैं, इसमें किसी की 5 साल के लिए है और किसी की 10 साल के लिए है। अब उन्होंने बहुत मेहनत करके सारा एन0पी0वी0 पैसा जमा करवा कर और सारी रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज करा करके एफ0सी0ए0 क्लीयरेंस दिल्ली से ले ली है। अब जब उनका टाइम पीरियड खत्म होगा तो फिर उसको भी क्या दोबारा ऑप्शन में लिया जाएगा?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, लेटेस्ट पोजिशन तो यही है।

श्री नीरज नैय्यर : इसमें रेत, बजरी या अन्य प्रकार का स्टोन है, क्योंकि यह छोटे काम होते हैं और एक बार जैसे आपने एफ0सी0ए0 क्लीयरेंस ले ली तो वह कंटिन्यूटी में उस लीज को रिन्यू करवा देते हैं।

27.03.2025/1115/बी.एस./ए.जी./-2

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसमें अगर आपकी एफ0सी0ए0 क्लीयरेंस आई है तो उसका एफ0सी0ए0 लिमिट नहीं हैं। वह लैंड एवर्शन के लिए हो गई। That is for forever. वह जो पैसा है वह आपने जमा करवा दिया है। उसमें सिर्फ आपको 5 साल के लिए रिन्यूअल होगी। आपकी एनवायरमेंट क्लीयरेंस और माइनिंग प्लान आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। मगर फोरेस्ट क्लीयरेंस दोबारा से नहीं लेनी पड़ेगी। माननीय सदस्य ने चम्बा में एम फोर्म का जिक्र किया कि एवेलेबिलिटी ऑफ मेटेरियल नहीं है और एम फार्म नहीं मिलते हैं। अभी माननीय नीरज नैय्यर जी ने भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चम्बा में एवेलेबिलिटी ऑफ लैंड नहीं है। अब हमारा जो माइनर मिनरल रूल है। हमने उसमें27.03.2025/1115/बी.एस./ए.जी./-2

कहा कि हम रिवर बेड की लीज है, उसे तीन हेक्टर से कम देंगे। अब चम्बा रावी के किनारे आपके पास लैंड नहीं है। माननीय सदस्य कुमारी अनुराधा राणा जी के लाहौल-स्पिति में एवेलेबिलिटी ऑफ मेटेरियल नहीं है। हम माइनर मिनरल में जो हमारा पैरामीटर है, तीन हेक्टेयर का रिवर बेड का, हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं। ताकि छोटी लीजिज छोटे व्यक्ति को मिल सके और एवेलेबिलिटी और मेटैरियल जो हार्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज हैं। इस एरियाज में एवेलेबिलिटी और मटेरियल भी हो जाए। हम यह कोशिश कर रहे हैं।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि 2015 में इसने एप्लाई किया है परंतु एग्जीक्यूशन तो अभी शुरू हो रही है। तो क्या वर्तमान पॉलिसी के आधार पर इस एग्जीक्यूशन को रोकने की सरकार कोशिश करेगी और मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पर स्पष्टता चाहूंगा कि उनके लिए एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है या प्रदेश महत्वपूर्ण है, धन्यवाद।

27.03.2025/1115/बी.एस./ए.जी./-3

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा है कि हमारे लिए प्रदेश महत्वपूर्ण है। यह जो लीज सैंक्शन हुई थी यह वर्ष 2018 से पहले की है। इसकी तहसील में रजिस्ट्रेशन 2015 में हो गई है। इसको एल0ओ0आई0 हमने वर्ष 2015 में दे दिया है। अब इसका भी तो अधिकार है। आदरणीय जनक राज जी मैं आपको नहीं कहना चाहता। मेरे पास आदरणीय जी0एस0 ठाकुर जी का केस है। यह भी सिमिलर कैसे हैं, ऐसे इस सदन के बहुत सारे विधायक होंगे। अगर हम निकालने लग जाएंगे तो बहुत से ऐसे केसिज निकल जाएंगे। एन0एच0पी0सी0 अधिकृत भूमि पर है। आदरणीय डी0एस0 ठाकुर जी की अधिकृत भूमि पर है। अगर हम करना चाहे तो हम भी कर सकते हैं। पहले जो हुआ है, उसे खोलने की कोशिश मत करिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने वैसे तो बहुत एग्जोस्टिड उत्तर सदन में दे दिया है, लेकिन कुछ चीजें हैं। माइनिंग रूज वर्ष 1971 से चल रहे हैं और सरकारों के अंतर्गत ये वर्ष 2015 में इसे फिर से अमेंड किया गया और उसके बाद भी अमेंट होते रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रदेश की संपदा में अगर कहीं गलती हुई होगी तो हम देंखेगे कि उससे पैसे कैसे वापिस लेने हैं। यहां पर किसी पर टिप्पणी की बात नहीं है अगर किसी की गलती है तो हम उस पर सुधार करेंगे।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

27.03.2025/1120/DT/DC-1

प्रशन संख्या 1 जारी..

मुख्य मंत्री जारी.....

जो माइनिंग रूल्स हैं उनको बदलने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा। हमने जो किया है उसमें गलती नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वर्ष 2015 का केस गलत है। जितने भी रूल्स हैं, मैं इस पॉलिसी को अभी समझ नहीं पाया हूं। हमारा जो दिन-प्रतिदिन

दो सौ बीघा या तीन सौ बीघा बढ़ रहा है, मैं किसी पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। इस सारी पॉलिसी को हमें समझने की जरूरत है। माइनिंग में हमने अपने प्रयासों से पिछली सरकार के मुकाबले डबल किया है। मेरा मानना है कि एक हजार करोड़ रुपये, चार सौ करोड़ रुपये और छह सौ करोड़ रुपये और एड करके हम इसे एक हजार करोड़ रुपये में लाएंगे। इस पॉलिसी को बदलने के लिए हम तैयार हैं। रेट्रोस्पेक्टिव यदि कुछ बात है तो उन चीजों को अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद मैं माननीय मंत्री जी के साथ बैठकर आगे की चर्चा करूंगा। जिस प्रकार की पॉलिसी बनेगी, हम उसे लागू करेंगे। यदि हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार की आर्थिक संपत्ति को हानि होगी तो हम उसे देखेंगे। अगर कहीं हो रहा होगा तो आपसे भी सुझाव लेंगे। हम सभी से सुझाव लेकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।

27.03.2025/1120/DT/DC-2

प्रश्न संख्याः 2337

श्री विपिन सिंह परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी है, उसमें कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आप कृपया शीघ्रातिशीघ्र पूरी सूचना उपलब्ध करवा दें।

27.03.2025/1120/DT/DC-3

प्रश्न संख्याः 2918

श्री केवल सिंह पठानिया (उप मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि सरकार संसाधन जुटाने हेतु भू-राजस्व अधिनियम 1954 में संशोधन करने पर विचार रखती है? इसमें तो इन्होंने कहा कि जी हां। जैसे कि प्रश्न का जवाब आया है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1970 से लेकर वर्ष 2007 तक जिला कांगड़ा में सेटलमेंट हुआ है। लंबी समय तक सेटलमेंट चली है और इसमें बहुत सी क्वारिज हुई हैं। यह हमारे फौजी भाइयों को जिला है। वहां पर बहुत सी क्वारिज चली हैं। इसी प्रकार वर्ष 1954 और वर्ष 1958 में बंदोबस्त चम्बा में हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्योंकि सेटलमेंट ऑफिस में बार-बार खासकर हमारे फौजी भाई जाते हैं

और वे फिर बार-बार विधायकों से मिलते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसे हमें फास्ट-ट्रैक पर लाएंगे? आने वाले समय में बहुत सी दुरुस्तियां होनी हैं। बहुत से र फौजी भाई जो नौकरी करते थे और फिर घर आए तो उनकी बहुत से दुरुस्तियों के प्रार्थना-पत्र अभी पेंडिंग पड़े हैं। आम जनता की भी पेंडिंग पड़ी हैं। दूसरा, एस0डी0एम0 ऑफिस, शाहपुर को स्थापित हुए 6 साल हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सेटलमेंट रिकॉर्ड कब तक शाहपुर में आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 14 करोड़ रुपये की लागत से पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा वहां बहुत बड़ा भवन शाहपुर में बना हुआ है। , मैं जानना चाहूंगा कि इस सारे रिकॉर्ड को शाहपुर विधान सभा क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा?

राजस्व मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि सेटलमेंट को किस तरह से फास्ट-ट्रैक पर डाला जाए। एक प्रश्न इसी प्रकार का इससे पूर्व भी माननीय सदन में आया था उसमें हमने यह बताया था कि हम सेटलमेंट को फास्ट-ट्रैक पर डालने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, चाहे इसमें आधुनिक तरीके हैं, उन्हें अपनाते हुए और कानूनन जो इसमें कमियां हैं, उन्हें सुधारने की आवश्यकता है वह सब कर दी जाएगी। अब यह जो सेटलमेंट हो रहा है, उसमें कम से कम 10 से 15 साल का समय लग रहा है और हम इसे कम-से-कम करने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न, जो माननीय सदस्य का था कि

श्री पी0बी. द्वारा ...जारी

27.03.2025/1125/DC/PB/-1

प्रश्न संख्याः 2918 क्रमागत...

राजस्व मंत्री जारी...

शाहपुर में जो सेटलमेंट हो चुका है परंतु हम रिकॉर्ड को शाहपुर सब डिवीज़न में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण यह है कि उसके लिए हमें पोस्टों की जरूरत है। रिकॉर्ड के लिए वहां पर कम से कम चार पोस्ट चाहिए और साथ में रख-रखाव के लिए अलग से कक्ष चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द शाहपुर में सब डिवीज़न स्थापित किया जाए।

27.03.2025/1125/DC/PB/-2

प्रश्न संख्याः 2919

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है इसमें अधिकतर सारी परियोजनाएं हैं लेकिन पर्यटन विभाग की ऐसी परियोजनाएं जिनके ऊपर कई घोषणाएं हो चुकी है उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है। जैसे कि धर्मशाला कन्वेंशन सेंटर हो या अन्य योजनाएं हो जो ए0डी0बी0 के तहत बननी हैं और जिनका निर्माण ए0डी0बी0 की धनराशि से होना है अभी इनकी स्थिति क्या है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पूरी सूचना एकत्रित करके दे दी गई है। कागज़ ज्यादा थे तो इसलिए लास्ट के पेज में लिखा है। मैं फिर भी इसे पढ़ देता हूं 'आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 30 नवम्बर, 2021 को 291.4 मिलियन अमरिकी डॉलर की नई ए0डी0बी0 परियोजना-II को मंज़ूरी दी है। इसमें से ए0डी0बी0 का हिस्सा 33 मिलियन अमरिकी डॉलर है। यह 1885 करोड़ रुपये है और राज्य का हिस्सा 478 करोड़ रुपये है और योजना की स्थिति नियमानुसार है। शिमला में परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना तथा तीन प्रबंधन परियोजना इकाइयों की स्थापना शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और एक पी0यू0आई0 उप-मण्डल की स्थापना नदौन में की गई है। पी0एम0ओ0यू0आई0 और पी0आई0यू0 में स्टाफ जुटाने की प्रक्रिया चल रही है। फोटर्स इन्फ्राको लिमिटिड के सहयोग से मैसर्ज ग्रैंड होटल भारत एल0एल0पी0 को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिजाइन एवं सुपरविजन कंस्ट्रक्शन कंसलटेंसी के रूप में चुना गया है और एल0ओ0ए0 जारी किया जा रहा है। प्रोजेक्ट कॉन्सेप्टरिपोर्ट तैयार कर ली गई है और एशियाई विकास बैंक से अनुमोदित की गई है। स्टैंडर्ड विद डॉक्युमेंट के साथ स्ट्रैटेजिक प्रोक्योरमेंट प्लान को भी एशियाई विकास बैंक से अनुमोदित करवा लिया गया है। ट्रैंच-I की लगभग सभी विस्तृत परियोजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार कर ली गई है जिसका पी0एम0यू0 और पी0आई0यू0 द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। ए0डी0बी0 के प्री-फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने दिनांक 22 से 26 अप्रैल 2024 को शिमला का दौरा किया और उनके

सहयोगी ज्ञापन के अनुसार निम्नलिखित प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान और विद पोर्शन योजना को मंजूरी देने की प्रक्रिया जारी है। ए0डी0बी0 प्रोजेक्ट का प्री-फेक्ट फाइंडिंग मिशन दिनांक 22 से 26 अप्रैल, 2024 को पूरा करना था, ऐड मेमोरी कंफर्मेशन दिनांक 31 मई, 2024 को करना था, मेमो प्रोसेसिंग फॉर प्रोसेसिंग विद लोन नेगोसिएशंस जून 2024

27.03.2025/1125/DC/PB/-3

में करनी थी, फिर लोन नेगोशिएशन जुलाई 2024 में करनी थी और ए0डी0बी0 अप्रूवल होनी थी, लोन साइनिंग होना था और लोन इफेक्टिवनेस होना था। इसमें लोन साइनिंग अभी पिछले दिनों हो चुका है'। अन्य प्रोजेक्टस जैसे कि तपोवन का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जिसे आई0पी0एच0 रैस्ट हॉउस के साथ दाड़ी मैदान में खोलने की बात कही गई थी परंतु मेरा मानना था कि अगर उस जगह पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर खुलता है तो लोगों के लिए खेल की सुविधा भी नहीं होगी और कर्मचारियों द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने में भी उन्हें असुविधा होगी इसलिए

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

27.03.2025/1130/H.K/A.P/1

प्रश्न संख्या : 2919 जारी ....

मुख्य मंत्री जारी .....

हमने उसको चेंज करके तपोवन के नजदीक, साढ़े चार हेक्टेयर जगह को चुना है और आने वाले समय में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की एक भव्य बिल्डिंग जो की भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने पर विचार करते हैं। उसको ए.डी.बी. के द्वारा फाइनेंस किया जाएगा, यह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं।

श्री सुधीर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अतिरिक्त जानकारी यहां पर साझा की है जो सूचना सभा पटल पर रखी थी,उसमें यह जानकारी नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा की यह सूचना अलग से मुझे दे उपलब्ध करवा दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह सप्लीमेंट्री की सूचना है और आपको यह सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन अभी तक यह जो ए.डी.बी का प्रोजेक्ट है, इसमें धन राशि जारी नहीं की गई है।

27.03.2025/1130/H.K/A.P/2

प्रश्न संख्य : 2920

श्री विनोद सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय मैं इस इश्यू पर सप्लीमेंट करना चाह रहा हूं कि इसमें जो महिला श्रीमती रमा जी है, इनकी जो सिचुएशन है, वह सरफेसी पर आ गयी है। 1 लाख 50 हज़ार रुपये बहुत बड़ी राशि नहीं है। लेकिन इनकी पूरी-की-पूरी ज़मीन अब स्टेक पर आ गई है। वर्ष 2016-17 में यह लोन लिया गया था और यह राजनीति से प्रेरित था। इन्हें जंजाल में फंसा कर रख लिया था। आज 1 लाख 50 हज़ार रुपये की वजह से वे सरफेसी में आ गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आपने बजट में इस तरह के लोग जो लोन के जंजाल में फंस जाते हैं, उनको बचाने का प्रोविजन आपने इस बजट में रखा है। मैं समझता हूं कि यह महिला इसमें कवर हो जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि वर्ष 2018 में इनके साथ इस तरह का यह डेट नेक्सस में फंसा है, इसको न तो बैंक क्लेम कर रहा है और न ही विभाग क्लेम कर पा रहा है। क्योंकि वह एक सिंपल सर्टिफिकेट जमा नहीं करवा पाए थे। इस वजह यह महिला इसमें फंस गई है। मैं मंत्री जी से सिर्फ यह आश्वासन चाहता हूं। क्योंकि यह बहुत पुराना केस है और यह केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहा है। पूर्व की सरकार ने इनका काम न हो, इनके काम को किस तरीके से रोका जाए, यह काम किया गया है।

27.03.2025/1130/H.K/A.P/3

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विनोद सुल्तानपुरी जी ने जो प्रश्न पूछा है, सचमुच में इस महिला के साथ अन्याय हुआ है। इन्होंने डेढ़ लाख रुपये का लोन लिया था। जिसमें से 50,000 रुपये उसकी सब्सिडी थी। मगर इन्होंने 15 दिन के अंदर सब्सिडी की क्लेम करते हैं, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद 15 दिन के अंदर सब्सिडी को क्लेम करना के लिए आवेदन करना पड़ता है, वह नहीं किया। उसके अलावा इसमें

इनको ट्रेनिंग भी करनी थी। ई.डी.पी. की ट्रेनिंग होती है। यह ट्रेनिंग एक फॉर्मेलिटी होती है, शायद उन्होंने वह ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है। उस वजह से इनको सब्सिडी नहीं मिली है। इस वजह से सुबाथु बैंक द्वारा सब्सिडी की प्रक्रिया को आगे प्रोसेस नहीं किया है। वर्ष 2018 की यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, यह सारी-की-सारी ऑनलाइन हो गई है। इस वजह से इनका कैस प्रोसेस नहीं हो पाया और उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है। **मगर माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी जी ने कहा है, उस पर हम कोशिश करेंगे कि इस केस को किसी तरह से सेटल कर दिया जाए या इनकी सब्सिडी को किस तरह से रिलीज किया जाए और इस महिला की मदद करने की हम हर कोशिश करेंगे। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं।**

27.03.2025/1130/H.K/A.P/4

प्रश्न संख्य : 2921

श्री विपिन सिंह परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तार से जो प्रश्न मैंने पूछा था। उसका उत्तर विभाग और माननीय मंत्री जी की तरफ से आया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप इसको बच्चों के लिए अवलोकन कह लीजिए या एक्सपोजर टूर। जब आप बच्चों को इस तरह के एक्स्पोज़र चयनित करते हैं, उसका कोई-न-कोई पैरामीटर होगा। उस पैरामीटर में व्यक्ति की पर्सनालिटी एक पार्ट हो सकता है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

27.03.2025/1135/at/HK /1

प्रश्न संख्या 2921 जारी

श्री विपिन सिंह परमार जारी ....

उसके टोटल अंक भी एक पार्ट हो सकत। है । उसकी मॉनिटरिंग का क्या माध्यम है? लगभग कितने हजार विद्यार्थियों में यह एक्सपोजर टूअर कितने बच्चों को दिया गया

है?एक तो मैं यह जानना चाहता हूं और साथ ही दूसरा पक्ष मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब हम किसी व्यक्ति के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या एक्स्पोज़र हुआ? आपने जो अध्यापक भी भेजे, क्या उनका कोई सेमिनार हुआ? क्या उसके कोई ब्रीफ नोट तैयार किए गए ? क्या आप उन नोटिस को हमसे शेयर कर सकते हैं और उसका प्रभाव उन स्कूलों में विद्यार्थियों और अध्यापकों में किस प्रकार का रहा, यह मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ये एक्सपोजर टूअर बंद हो गए या आगे भी जारी रहेंगे?

27.03.2025/1135/at/HK /2

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, श्री विपिन सिंह परमार जी जो हमारे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। मैं समझता हूं कि इन्होंने यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। विशेषकर शिक्षा जगत में जो एक ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया था, जिसको वर्तमान में प्रदेश में नहीं, आपकी केंद्र की सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वयं इस बात को सराहा है। जहां तक आपने पैरामीटर्ज़ की बात कही कि किस मापदंड के अनुसार इनका चयन हुआ, टोटली मापदंड बिल्कुल पारदर्शी थे। आपके एजुकेशन बोर्ड का रिजल्ट्स आपके 10th के वर्ष 2023, 2024 के 20-20 स्टूडेंट्स जो हमारे सरकारी स्कूलों से, ग्रामीण परिवेश के स्कूल थे, वहां से लगभग 40 के आसपास की संख्या उनकी बनती है। सरकारी स्कूलों का वर्ष 2023 और 2024 का रिजल्ट और उसका ही परिणाम था हमारे बहुत से दुर्गम क्षेत्र, उदाहरण के तौर पर यहां पर लोकेन्दर जी बैठे हैं। आनी स्कूल के बच्चे विदेश भ्रमण में जा पाए । जब माननीय मुख्यमंत्री जी और मैंने इस ऐतिहासिक पल में, इस विदेश भ्रमण की यात्रा के लिए फ्लैग ऑफ की थी, हमारा अपना भी एक्सपीरियंस था, वह हमने शेयर किया कि हम विदेश तब जा पाए जब हम 40 साल की अवस्था में पहुंच चुके थे। आज चाहे आनी का बच्चा हो, चाहे किन्नौर, थुरल, जयसिंहपुर, करसोग या जोगिंदरनगर की बात हो, पूरे प्रदेश से 40 एकेडमिक मैरिट के आधार पर वह चाहे चंबा की बात हो और इसके अलावा एन0सी0सी0 या होलिस्टिक डवलपमेंट हो, उसमे मात्र सिर्फ एकेडेमिक्स न होते हुए उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जिसके माध्यम से प्रदेश को कोई गौरव प्राप्त हुआ। उदाहरण के तौर पर जैसे

मैंने आनी की बात की । उनकी टीम कल्चरल प्रोग्राम में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में प्रथम आई थी। उसके कारण कुछ बच्चे आनी के भी गये और साथ ही साथ जो भ्रमण की बात आती है, ट्रेवल की बात आती है, उसमें कुछ फेमस कोट्स भी मैं अपने सभी माननीय सदस्यों के साथ सांझा करना चाहूंगा। "One must travel, to learn". Mark Twain जो बड़े नोन अमेरिकन फिलॉस्फर रहे हैं। इसी तरह से "Experience, travel - these are as education in themselves." जो एक ग्रीक फिलॉस्फर की हजारों साल पुरानी बात थी। यह अपने आप में मैं समझता हूं कि एक हमेशा उनके जीवन काल की बात रहेगी। चाहे टीचर्स की बात है, टीचर्स का भी बड़ा डिटेल में सारा पारदर्शी तरीका हमने अपनाया है। उसकी पूरी रूपरेखा इसमें रखी गई है। इन बच्चों के लर्निंग आउटकम में इंप्रूवमेंट आए,

27.03.2025/1135/at/HK /3

इस सोच के साथ इनको भेजा गया, इनका आत्मविश्वास बढ़े, यह एक बहुत बड़ी बात थी। साथ ही साथ अगर टीचर्स की बात करें तो उसमें बैस्ट प्रैक्टिसेज, क्योंकि सिंगापुर और कंबोडिया के चयन के लिए हमने जब अपने विभाग की माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार मीटिंग रखी थी, मैंने कहा कि इस तरह का अनुभव हो। आप बहुत से साथी सिंगापुर गए हैं। वर्ष 1965 में अस्तित्व में आया और 50-60 साल कि उनकी जो यात्रा रही है। आज one of the most developed country के रूप में सिंगापुर को जाना जाता है।

श्रीमती एम0 डी0 द्वारा जारी.....

27.03.2025/1140/ YK/MD/1

प्रश्न संख्या : 2921----जारी :

शिक्षा मंत्री---जारी :

इसी तरह से कंबोडिया यह भी कहीं ना कहीं हमारे देश की विरासत जुड़ा है। एक समय में सबसे बड़ा हिंदू सम्राज्य कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड एक ही सम्राज्य हुआ करता था। आज की डेट में पूरे विश्व सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाट में है और वहां पर भी भ्रमण करने का एक अवसर दिया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जैसे आपने कहा कि यह आगे भी चलेगा क्योंकि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के माध्यम से इसकी फंडिंग हुई थी। जो वर्ष 2020-2021 में वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट स्टार प्रोजेक्ट 6 स्टेटस में प्रारंभ हुआ था और इसमें हिमाचल भी शामिल था। अभी इस वर्ष तो यह वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। अगर हमें विषय में इसमें रेन्यूवल मिलेगी तो निश्चित रूप से इस तरह के भ्रमण के कार्यक्रम रखे जाएंगे।

श्री विपिन सिंह परमारः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत विस्तार से जानकारी दी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब भी कोई फॉरेन विजिट होते हैं तो उसके बाद उसका कहीं ना कहीं पर प्रेजेंटेशन होता है तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि इसकी एक प्रतिलिपि हमें भी शेयर की जाए। जैसे आपने मंदिरों का जिक्र किया, आपने सनातन का और हिंदुत्व का और हिंदू धर्म का तो अच्छा लग रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि वहां पर जो चर्चाएं हुई जो प्रेजेंटेशन हुई उसकी एक प्रतिलिपि हमें भी शेयर करेंगे तो अच्छा है। दूसरा आपने वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया है। कितना पैसा इसके लिए सैंक्शन हुआ है? जो हमारा हयुम्न रिसोर्सज मिनिस्ट्री है जिसमें आपने श्री महेंद्र प्रधान जी का जिक्र किया है। क्या यह राशि वहां से प्रस्तावित थी? यह भी जानकारी हमें दें।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जी हां यह राशि वहीं वर्ष 2020 से प्रस्तावित थी और इसको अम्लीजामा हमने पहनाया है। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि हर विभाग के लोग विदेश ब्राह्मण में जाते हैं फिर चाहे वह जल शक्ति विभाग हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्मेंट हो, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्मेंट हो। शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है और बहुत से लोग शिक्षा विभाग में किसी न किसी रूप से जुड़े हैं। कहीं स्वयं टीचर रहे और कइयों के बैटर हॉफ

टीचर हैं तो अगर शिक्षा विभाग के लोग भी विदेश ब्राह्मण के लिए जा रहे हैं तो इसमें हम सबको साथ देना चाहिए । यहां तक कि केंद्र मंत्री ने भी इस बात की सराहना की है। भविष्य में जैसे मैंने कहा कि ये केंद्र की योजना थी और वर्ल्ड बैंक का यह पैसा था। अगर हमें यह पैसा आएगा तो निश्चित रुप से हम भविष्य में भी करेंगे और माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी को साथ लेकर जाउंगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब हिमाचल के बच्चे और टीचरर्ज घूमने जा रहे हैं। जिन्हें एक्सपोजर विजिट और एकेडमिक से ज्यादा ज्ञान मिलता है। मैं तो यह भी चाहता हूं कि जब भी कोई विजिट जाता है तो उसमें अधिकारी जाते हैं और पॉलिसी मेकर्स को पता नहीं लगता है कि किस प्रकार की पॉलिसी बनानी है। मैं सभा में बताना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि सभी विधायक एक्सपोजर विजिट पर भी जाएं। जिस प्रोजेक्ट के तहत बच्चे जा रहे हैं, हमारी यही कोशिश रहती है कि सभी विधायक जब जाकर आते हैं तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं नई सोच विकसित होती है। हम उस स्क्रीन मानसिकता से नहीं रह सकते कि हमारे विधायक पर इस सभा में कोई उंगली उठाएगा कि यह विदेश गया था। विदेश जाने के बाद जो इंप्लीमेंटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, दोनों का एक ताल-मेल होना बहुत जरूरी है। मेरी राय यह है कि आने वाले समय में यह निश्चित करेंगे कि सभी सदन के विधायकों को किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रोजेक्ट के साथ जोड़कर विदेश भेजा जाए। यह मैं इस सदन में आश्वासन देना चाहता हूं।

प्रश्न संख्या : 2922

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या : 2922 इस प्रश्न की सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

27.032025/1145/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्या : 2923

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसके अनुसार NMC के मानदंडो के अनुसार 38.83 परसेंट संकाय सदस्यों की कमी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर जो प्रशिक्षु छात्र थे, जो डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डी0एन0बी0) के माध्यम से करने आए थे,उनको क्यों निकाला गया था? जवाब में कहा गया है कि उन्होंने बाँड नहीं भरे तो क्या जो बाँड नहीं भरे गए, क्या यह उन प्रशिक्षुओं की कोई गलती थी या सरकार की, विभाग की कोई गलती थी? इस बारे में इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। क्या नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन इन मैडिकल साइंसेज ने मैडिकल कॉलेजों में जो पी0जी0 होती थी, उसको समाप्त कर दिया है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा कि मैडिकल कॉलेज में, पिछले कल हमारे नगरोटा के विधायक श्री आर0एस0बाली जी ने भी बात की थी कि उनमें SRship नहीं है। कई जगह पी0जी0 की क्लासिज़ शुरू नहीं हुई हैं। ये नए मैडिकल कॉलेज आए हैं और नए मैडिकल कॉलेज का नीट के एग्जामिनेशन के द्वारा जब एम0बी0बी0एस0 में प्रवेश हो जाता है, पहले तो उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय लगता है और उसमें भारत सरकार से जो कि डॉ0 मनमोहन सिंह जी के समय यह स्वीकृत हुआ था, 189 करोड़ रुपया मिलते थे। इंफ्लेशन के हिसाब से उसकी कीमत तो आधी ही रह जाती है। अभी तक इन सभी मैडिकल कॉलेजों में, नेरचौक मण्डी, चम्बा, हमीरपुर में हम लगभग 300-400 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्चा कर चुके हैं। अभी एम0बी0बी0एस0 करके उनका पहला या दूसरा बैच निकलेगा। फिर भी कुछ सीटें डी0एन0बी0 की जो आपने बात कही है, उनको हम स्टाइपेंड देंगे। अब हमने स्टाइपेंड बढ़ा दिया है। बाहरी राज्य से आ कर वे हमारे राज्य में सेवा नहीं करेंगे तो बाँड की एक शर्त इसलिए रखी गई है कि जब आप पी0जी0 करते हैं तो हम आपको स्टाइपेंड देते हैं। स्टाइपेंड देने के बाद वे अपने-अपने राज्य में चले जाते हैं। हमने कहा कि अगर आप यहां पर पी0जी0 कर रहे हैं तो आप अपना बाँड भरिए। अगर आपने अपने राज्य में जाना है तो इतने पैसे आप जमा करवाइए। बाँड की कंडिशन इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाले समय में कोई यहां नहीं रहना चाहता **इस दृष्टि से अगर इसमें थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत होगी, वह हम करेंगे। जो हमीरपुर मैडिकल कॉलेज की बात माननीय सदस्य ने कही, उसमें आने वाले समय में सभी पदों को भर दिया**

27.032025/1145/केएस/वाईके/2

जाएगा। हमने एक साल के भीतर उसको ठीक करना है। हमीरपुर मैडिकल कॉलेज को ही नहीं, नेरचौक-मण्डी मैडिकल कॉलेज, टांडा मैडिकल कॉलेज, आई0जी0एम0सी0 मैडिकल कॉलेज और चम्बा के मैडिकल कॉलजों में भी आवश्यकतानुसार जितने पद भरने की ज़रूरत होगी, हम भरेंगे। उसके लिए कल मैंने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी से भी चर्चा की थी कि हमें डायरैक्टर, हैल्थ सर्विसिज़ का काडर अलग करना होगा। मैंने उस बारे में दिशा-निर्देश दे दिए हैं। उसके बाद जो पद खाली रहेंगे तो हमें पता लगेगा कि मैडिकल कॉलेज में इतने पद खाली हैं और जो डी0एन0बी0 के स्टूडेंट्स हैं, वे तो बाकी जितने स्टूडेंट थे, उसमें 60 परसेंट के करीब लोग तो अपने राज्य में चले गए जब उनको स्टाइपेंड की बात नहीं आई। लेकिन पांच अभी भी हिमाचल प्रदेश में डी0एन0बी0 का कोर्स कर रहे हैं। जब एक कॉलेज बनता है तो उसको स्थापित करने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग निर्माण और स्टाफ आदि भरने में समय लग जाता है। अब तो नई लेटैस्ट मैडिकल टैक्नोलॉजी आ रही है। एक साल के अंदर, **हम व्यक्तिगत तौर पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठकर आने वाले हर महीने इसकी मीटिंग करेंगे और मैडिकल टैक्नोलॉजी के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।**

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विस्तार से अपनी बात रखी है। जहां तक बॉंड की बात है। हमारे डॉक्टर्ज़ पी0जी0आई0 में जाकर भी पी0जी0 करते हैं। फिर तो कल को उनको भी प्रॉब्लम आएगी। या अन्य बाहर के कॉलेजों में हमारे यहां से जो डॉक्टर जाते हैं, उनको भी दिक्कत आएगी। वे तो वहां पर कोई बॉंड नहीं भरते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वे ठीक ढंग से चले, उसके लिए इसमें अगर सरकार की तरफ से रिलेक्सेशन की जा सकती है तो करनी चाहिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाह रहा हूं कि एम0बी0बी0एस0 करने के बाद भी भविष्य में डॉक्टर बेरोज़गारी की लाइन में लग जाएंगे। जैसे डैंटल का हाल हुआ है। जिस तरह से सात-आठ हज़ार डैंटल डॉक्टर अभी नौकरी की तलाश में बैठे हैं, वैसे ही एम0बी0बी0एस0 का इस छोटे से प्रदेश में हाल होने वाला है। हमें बॉंड की इसलिए ज़रूरत है कि वे यहां पर टिके रहे।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.03.2025/1150/av/ag/1

प्रश्न संख्या : 2923 ------ क्रमागत

मुख्य मंत्री---- जारी

अभी लगभग 2,000 डॉक्टर्ज ऐसे हैं जो एम0बी0बी0एस0 करके सरकारी नौकरी चाहते हैं। आने वाले वर्षों में जब सातों मेडिकल कॉलेजिज से बच्चे निकलते रहेंगे तो हमारे प्रदेश में बहुत सारे एम0बी0बी0एस0 युवा बेरोज़गारी की लाइन में खड़े हो जाएंगे। हमें बाँड इसलिए चाहिए कि स्पेशलिस्ट्स इस चीज को देखें और स्पेशलिस्ट्स का पैकेज भी इस बार 40,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। इसके अतिरिक्त एस0आर0 शिप करने वालों का 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये कर दिया है। हमारे छोटे से प्रदेश के लिए यह बाँड बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे पास जैसे-जैसे संख्या बढ़ती जाएगी और पोस्टें फिलअप होती जाएगी, उस समय इस कंडीशन को रिलैक्स करने के बारे में सोचा जा सकता है।

27.03.2025/1150/av/ag/2

प्रश्न संख्या : 2924

कुमारी अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के 'क' भाग के अंतर्गत मुद भावा सड़क की जानकारी लेनी चाही थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी (जनजातीय विकास) और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। मुद भावा सड़क जोकि हमारी किन्नौर और लाहौल-स्पिति घाटी की एक लंबी मांग है, इसके पहले पार्ट यानी 28 किलोमीटर तक एफ0सी0ए0 के अंतर्गत प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है। मेरा अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से यह निवेदन है कि इसके बाकी लगभग 44 किलोमीटर के पार्ट को भी फास्ट-ट्रैक में डाला जाए ताकि दोनों घाटियों की लंबी मांग को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। मैंने जो दूसरा प्रश्न किया था वह एफ0सी0ए0 वॉयलेशन के संदर्भ में है। मुझे लगता है कि यह केवल लाहौल-स्पिति से जुड़ा हुआ ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक गम्भीर मामला है। मैंने इसमें यह पूछा था कि हमारे लाहौल-स्पिति में

ऐसी कितनी सड़कें हैं जो एफ0सी0ए0 वॉयलेशन के अंतर्गत आ रही हैं। इसमें बताया गया है कि ऐसी 136 सड़कें हैं। मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा कई हजारों में हो सकता है। ऐसी सड़कों के बारे में एफ0सी0ए0 क्लीयरैंस के लिए अभी कई कार्य हो रहे हैं। इसमें अधिकतर सड़कें 15-20 वर्ष पुरानी हैं और इनमें एन0पी0वी0 तथा सी0ए0 के तौर पर विभाग को पांच गुना राशि जमा करवानी पड़ेगी, अगर केंद्र सरकार को देनी है। यह राशि इस प्रकार से कई लाखों/करोड़ों रुपये में जा सकती है। मेरा यह सुझाव है कि उसी राशि को रोड मेंटेनेंस और नयी रोड बनाने में खर्च किया जा सकता है। मैं मुख्य मंत्री जी और लोक निर्माण मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि इस संदर्भ में हम क्या केंद्र सरकार के समक्ष कोई वन टाइम सेटलमैंट का सुझाव रख सकते हैं? हमारी जो 15-20 वर्ष पहले बनीं सड़कें एफ0सी0ए0 वॉयलेशन में आ रही हैं, उनका अगर वन टाइम सेटलमैंट में एक-साथ निपटान हो जाता है तो मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल वासियों और विभाग को भी राहत मिलेगी तथा हमारी समस्याओं का भी समाधान होगा। हमने यदि इन सड़कों को चौड़ा करना होता है या कोई अन्य कार्य प्रपोज़ करना होता है तो एफ0सी0ए0 वॉयलेशन की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं इसका वन टाइम सेटलमैंट के अंतर्गत कुछ समाधान चाहूंगी।

27.03.2025/1150/av/ag/3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एफ0सी0ए0 से संबंधित काफी वर्षों से केस लंबित पड़े हैं। हमने एन0पी0वी0 जमा करवाने के लिए विधायक निधि भी अलाउ कर दी है। आप विधायक निधि से भी एफ0सी0ए0 में एन0पी0वी0 दे सकते हैं। हमने उसके बारे में नोटिफिकेशन कर दी है। कई बार मान लो 5 लाख रुपये की राशि देनी होती है और सरकार में चलते-चलते महीना लग जाता है। इसलिए हमने यह परमिशन दी है और अगर कोई अपनी पूरी विधायक निधि का एन0पी0वी0 के लिए उपयोग करना चाहता है,तो वह कर सकता है। लेकिन माननीय सदस्या की चिंता भी जायज है क्योंकि इनका काफी क्षेत्र एफ0सी0ए0 से रिलेटिड है। हम इस बारे में अधिकारियों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करेंगे और माननीय सदस्या द्वारा व्यक्त की गई चिंता के बारे में कोशिश करेंगे कि अगर आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी तो उसके बारे में आगे बात कर सकते हैं।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी, बात यह नहीं है बल्कि मुद्दा यह है कि जो सड़कें 25-30 वर्ष पहले बनीं, उनको आज केंद्र सरकार ने वॉयलेशन के केसिज में टेकअप किया है। वे सड़कें बहुत वर्ष पहले बन चुकी हैं और एफ0सी0ए0 वर्ष 1980 में आया तो वे वॉयलेशन में कैसे होंगी। Whether the Government is going to take some steps with the Government of India?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर ये सड़कें 20-25 वर्ष पहले बन चुकी हैं और एफ0सी0ए0 वर्ष 1980 में आया तो उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये सड़कें पहले ब्लॉक्स के माध्यम से बनीं और फिर वर्ष 1980 में यह एक्ट आ गया। उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी और उसके उपरांत ही मैं आपको स्पष्ट उत्तर दे सकूंगा।

कुमारी अनुराधा राणा**टी सी द्वारा जारी**

27.03.2025/1155/टी0सी0वी0/ए0जी0 -1

प्रश्न संख्या : 2924 .. जारी

कुमारी अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यही है कि जो सड़कें 15-20 वर्ष पहले बनाई जा चुकी हैं, उनमें फॉरेस्ट कानून के कारण प्रोब्लम आ रही हैं। हमारा वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में आया, फिर एफ0आर0ए0 वर्ष 2006 के बाद आया और उसके लागू होने में भी कई वर्ष लग गए। इस बीच एफ0आर0ए0 के तहत हमारे कई रोड्स पहले ही बन चुके थे। अब नियमों के अनुसार एक हेक्टेयर भूमि और 75 पेड़ों तक की सीमा निर्धारित की गई है और उससे अधिक होने पर एफ0सी0ए0 के तहत आते हैं। मेरा निवेदन यह है कि जो पुरानी सड़कें हैं, जिनका केवल मरम्मत या चौड़ीकरण किया जाना है, वे शहरीकरण के अंतर्गत आ रही हैं। अधिकारी बताते हैं कि वर्तमान में केंद्र सरकार सेटेलाइट के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रही है और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि वन टाइम सेटलमेंट की दिशा में कदम उठाना बहुत आवश्यक है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में कानूनी पहलुओं की समीक्षा करने की जरूरत है और पुराने कानूनों का भी अध्ययन करना होगा ताकि इसमें आ रही बाधाओं को दूर कर समाधान निकाला जा सके। **इसको स्टडी करेंगे और इनकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे।**

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने यहां विधायक क्षेत्र विकास निधि से विभिन्न स्कीमों को पैसा देने का जिक्र किया है। ऐसी ही मेरे चुनाव क्षेत्र की जल शक्ति विभाग से संबंधित कुछ स्कीमें हैं जिनमें 01, 02 या 5 लाख रुपये तक की राशि शामिल है। मेरा प्रश्न है कि क्या विधायक क्षेत्र विकास निधि से इस प्रकार की स्कीमों को धनराशि दी जा सकती है? क्योंकि जो वर्तमान नोटिफिकेशन है, उसमें इसका उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार विधायक क्षेत्र विकास निधि से नालों को चैनलाइज करने का प्रावधान भी नहीं है, क्या इन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकता है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि एन0पी0वी0 के तहत जो 01, 02 एवं 03 लाख रुपये की जल आपूर्ति योजनाओं होती हैं, क्या उनको विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा दिया जा सकता है? मैं माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि इसका प्रावधान विधायक क्षेत्र विकास निधि में कर दिया जाएगा। इसके अलावा नालों की चैनलाइजेशन और कुछ अन्य मामलों को अलग से देखना पड़ेगा। धन्यवाद।

27.03.2025/1155/टी0सी0वी0/ए0जी0 - 2

प्रश्न संख्या : 2925

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री युवा स्वावलंबन योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसमें सब्सिडी का भुगतान काफी समय से लंबित है। कई युवा, जिन्होंने इस योजना के तहत अपना व्यवसाय शुरू किया है, उन्हें अभी तक सब्सिडी नहीं मिली है। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपया करेंगे कि उन्हें यह सब्सिडी कब तक जारी कर दी जाएगी ?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना बहुत अच्छी योजना है। इसके तहत पिछले दो वर्षों में 1,937 सैंक्शन किए गये है और इसमें कुल 103 योजनाएं शामिल हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि, बागवानी और अन्य स्वरोजगार क्षेत्रों से संबंधित हैं। इस योजना के तहत वर्तमान में 127 करोड़ रुपये की सब्सिडी लंबित है, जिसे लाभार्थियों को वितरित किया जाना है। हमने मुख्य मंत्री जी और वित्त विभाग को इस संबंध में पत्र लिखा है ताकि यह राशि शीघ्र जारी हो सके। कई लाभार्थियों के प्रोजेक्ट केवल इस कारण से रुके हुए हैं

कि उन्हें सब्सिडी की राशि जारी नहीं हुई है। हम पुनः अनुरोध करेंगे कि 127 करोड़ रुपये की देनदारियों का भुगतान करने के लिए शीघ्र धनराशि जारी की जाए ताकि हम लाभार्थियों को सब्सिडी ट्रांसफर कर सकें।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह पिछली सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना थी, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदान करना था। मंत्री महोदय ने इसका उत्तर दिया है, लेकिन मैं दो बातें और जानना चाहूंगा कि इस योजना के तहत अभी कितने मामले लंबित हैं और उन मामलों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? दूसरा, इस योजना का मूल उद्देश्य ही सब्सिडी प्रदान करना था, लेकिन यदि लाभार्थियों को सब्सिडी ही नहीं मिल रही है तो केवल मामलों को स्वीकृत करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। वर्ष 2018-19 तक के मामलों में भी कई स्थानों पर देनदारियां लंबित हैं। इसका जो उत्तर दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। क्या उद्योग मंत्री जी बताएंगे कि इन देनदारियों का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

उद्योग मंत्री एन0एस0 द्वारा शुरू ...

27-03-2025/1200/एन0एस0-डी0सी0/1

प्रश्न संख्या : 2925-----क्रमागत

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री रणधीर शर्मा जी ने जो जानकारी मांगी है तो वह जानकारी इस वक्त मेरे पास उपलब्ध नहीं है। प्रधान मंत्री स्वावलंबन योजना व मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना में लोग अलग-अलग स्कीम्ज में अप्लाई करते हैं उसको हम स्वीकृत कर देते हैं और जो सब्सिडी पार्ट है तो जो अपना काम कर रहा है उसको कोर्डल फॉरमेलिटीज या एन0ओ0सी0 समय-समय पर देने पड़ते हैं। आप वर्ष 2019 व वर्ष 2020 की सब्सिडी का जिक्र कर रहे हैं तो कई लोगों ने अपनी कोर्डल फॉरमेलिटीज पूरी नहीं की होंगी जिस कारण सब्सिडी लटकी होगी। अगर ऐसे कोई स्पेसिफिक केसिज हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जो पुराने केसिज पेंडिंग हैं उनको क्लीयर किया जाए। हम वर्ष 2019 से लेकर के वर्ष 2023 की सब्सिडी को क्लीयर करने की कोशिश करेंगे। माननीय सदस्य ने जैसा जिक्र किया तो यह बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के तहत अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश में 7,181 इकाइयां स्थापित की हैं जिनमें लगभग 17,618 लोगों को रोजगार

मिला है और 1,221 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इसके माध्यम से कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर रहा है और कोई पिकअप ले रहा है या कुछ और काम कर रहा है। ये बहुत अच्छी स्कीम्ज हैं। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर हमें वित्त विभाग 127 करोड़ रुपये देगा तो जो हमारी लायबिलिटीज हैं उनको पूरा किया जा सकता है। आप यह राशि चाहे एकमुश्त न दें लेकिन थोड़ी-थोड़ी करके दें ताकि हम पुराने केसिज को चरणबद्ध तरीके से निपटा सकें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले 127 करोड़ रुपये की लायबिलिटी को पूरा किया जाए और फिर अगले केस को स्वीकृत किया जाए। **पिछले केसिज न लटके रहें इसलिए आने वाले समय में पहले पिछले केसिज की सब्सिडी क्लीयर करेंगे और उसके बाद अगले केसिज को स्वीकृत करेंगे।**

प्रश्नकाल समाप्त

27-03-2025/1200/एन0एस0-डी0सी0/2

अध्यक्ष : राजभवन से आग्रह आया है और मैं आप सभी को सहर्ष सूचित करना चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से आज दिनांक 27 मार्च, 2025 को राजभवन में रात्रि भोज 8.00 बजे निश्चित है और इसका आयोजन किया गया है। अतः आप समस्त माननीय सदस्यों व सभी मंत्रियों से अनुरोध है कि आप उसमें अवश्य पधारें। यह राजभवन से संदेश है जिससे मैं माननीय सदन को अवगत करवा रहा हूं। श्री जय राम ठाकुर जी आप क्या कहना चाहते हैं?

27-03-2025/1200/एन0एस0-डी0सी0/3

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और हम सब लोगों को अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने सरकार की जन विरोधी नीतियों पर एक कार्यक्रम प्रदर्शन का रखा है। इस माननीय सदन में मुझे इस बात को बताते हुए अफसोस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी जो शिमला आ रहे हैं उनको अनेक स्थानों पर रोक दिया गया है। 8 किलोमीटर से लोग पैदल चले हुए हैं और आने-जाने के सारे रास्ते बंद

कर दिए हैं। हरियाणा से वाटर कैनन मंगवाए गए हैं। जहां पर हमारी सभा है वहां पर बेरिकेड लगा दिए हैं और यह बेरिकेडिंग इतनी नजदीक कर दी है कि सभा स्थल काफी रोक दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जहां हम सदन के अंदर अपनी बात कहते हैं तो हमें अपनी बात कहने का बाहर भी अधिकार है। सरकार की ओर से ऐसी परिस्थिति वहां पर बनाई गई है। मैंने डी0जी0पी0 व एस0पी0 से सुबह बात की है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हुए शांति प्रिय ढंग से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमारे साथियों को आने से रोका गया है या बधित किया गया है और रास्ते बंद कर दिए गए हैं तथा सभा स्थल पर बेरिकेडिंग नजदीक की गई है कि लोग आगे नहीं आ सकते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय इन सारी स्थितियों को देख कर हम इस माननीय सदन से वॉकआउट कर रहे हैं और मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है।

अध्यक्ष -----आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

27.03.2025/1205/RKS/DC-1

(विपक्ष के सभी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए।)

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह पहला ऐसा वॉकआउट है जिस पर कुछ भी कारण स्पष्ट नहीं है। आपने मुझे इस विषय पर जवाब देने के लिए खड़ा करना था लेकिन ये जवाब सुनने से पहले ही वॉकआउट कर गए। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब विपक्ष को बोलने की आज़ादी होती है और हमने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है जिससे इन्हें बोलने से रोका जाए। यातायात को सुचारु रूप से चलाने के लिए लोगों को चिन्हित स्थानों पर ही ड्रॉप किया जाता है। पिछले कल भी एक एजिटेशन हुआ था। जो छोटे बेरिकेड्स हैं लोग उन पर चढ़ जाते हैं और जब थोड़ा स्कफल हो जाए तो किसी की हड्डी या रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। ये पांच ग्रुप्स में बंटे हुए हैं जिनमें से आज एक ग्रुप की रैली है और बाकी चार ग्रुप रैली में भाग नहीं ले रहे हैं। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और दोष

हमको दे रहे हैं फिर यह कैसा वॉकआउट हुआ? पूर्व मुख्य मंत्री बोलते-बोलते ही बाहर चले गए हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस वॉकआउट को रिकॉर्ड में न लिया जाए। यह वॉकआउट किसी मुद्दे पर नहीं किया गया है। हमारी पुलिस बहुत सहयोगी है और हर प्रकार से ट्रैफिक को खोलने की कोशिश कर रही है। हर जगह से पुलिस और सी0आई0डी के माध्यम से जानकारी जुटाई जा रही है ताकि पहले इनकी बसों को भेजा जा सके। लेकिन जब बसें खाली या आधी भरी आ रही हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर है? अध्यक्ष महोदय, जो बात इन्होंने कही है उसे भी रिकॉर्ड से हटाया जाए। धन्यवाद।

Speaker: I will peruse the record and thereafter I will take decision on this.

27.03.2025/1205/RKS/DC-2

शून्य काल

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर जी, वैसे तो आपके विषय का सुबह जवाब आ चुका है लेकिन आप अपनी बात रख सकते हैं।

श्री नीरज नैय्यरः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे लाना चाहता हूं। चम्बा मेडिकल कॉलेज में टॉप ऑफ द लाइन उपकरण, जैसे एम0आर0आई0 और सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध हैं लेकिन इनके संचालन के लिए वहां पर सिर्फ एक रेडियोलॉजिस्ट है। इसके कारण लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार रेडियोलॉजिस्ट के लिए यू0एस0जी0 में 6 महीने का पोस्ट डिग्री कोर्स है। इस कोर्स के तहत हमारे प्रदेश से कुछ बच्चे ट्रेनिंग के लिए गए हैं। जब तक चम्बा मेडिकल कॉलेज के लिए परमानेंट रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं होते तब तक जो हमारे 3 बच्चे रेडियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग के लिए गए हैं, उनसे हमें रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध करवाए जाएं। चम्बा मेडिकल कॉलेज में एम0आर0आई0 करवाने के लिए लोगों को 2-2, 3-3, या 8-8 महीने का समय दिया जा रहा है। चम्बा मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस उपलब्ध हैं लेकिन इनके संचालन के लिए जो 15 चालकों के पद सृजित हैं उनमें से 9 पद रिक्त पड़े हैं जिसके कारण एम्बुलेंस सेवा ठीक से काम नहीं कर पा रही है। अतः मेरा आग्रह है कि चम्बा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स के माध्यम से चालकों के पद भरे जाएं या सरकार

खुद इन पदों को भरने की व्यवस्था करें। चम्बा में सभी मेडिकल उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण लोगों को टांडा अस्पताल जाना पड़ता है

श्री बी0एस0द्वारा...जारी

27.03.2025/1210/बी.एस./एच.के./-1

श्री नीरज नैय्यर जारी...

और एंबुलेंस वहां पर खड़ी रहती है। इन्हें भी आउटसोर्स पर हायर करने की अनुमित दी जाए। एक हमारा ऑक्सीजन प्लांट चम्बा कॉलेज में लगा हुआ है और पीछे इसका आउटर्सोस का जो टेंडर है वह खत्म हो गया है और उस टेंडर की रिन्यूअल हमें नहीं मिली है। आपको पता है कि आक्सीजन अस्पतालों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। अभी काम चलाऊ तरीके से इस पर काम चल रहा है, मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण विषय है और इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए।

मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि चम्बा मैंडिकल कॉलेज के अन्दर एस0आर0 की 83 सैंक्शन्ड पोटें हैं जिसमें से 50 पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैं आपके संज्ञान में यह चीज लाना चाहूंगा कि चम्बा एस्पिरेशनल जिला है। जैसे चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, उसके अंदर पी0जी0 करके डॉक्टर निकलते हैं और उनको एस0आर0शिप मिल जाती है। ज्यादातर क्या होता है कि उनके साथ एक बॉड साइन होता है कि उनको 2-3 साल तक उस एरिया में काम करना पड़ेगा और उसके साथ उन्हें एस0आर0 शिप मिलती है। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि चमियाना की तर्ज पर चम्बा मैंडिकल कॉलेज को एम0डी0 पोस्टिड होते हैं उन्हें एस0आर0 के तौर पर पोस्ट किया जाए। उससे हमारे वहां एस0आर0 की काफी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि बहुत सारी पोस्टे खोली पड़ी हैं।

मैं एक और चीज मुख्य मंत्री के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जैसे contractual policy के तौर पर मैडिकल कॉलेज के अंदर हम डॉक्टर्ज भर्ती करते हैं। चम्बा हमारा एक एस्पिरेशनल जिला है जो contractual policy के अन्दर इंसेंटिव डॉक्टर्ज को दिए जाते हैं, जो हमारे रेग्यूलर डॉक्टर्ज चम्बा मैडिकल कॉलेज के अन्तर्गत आते हैं उनको भी

एस्पिरेशनल जिला होने के नाते यह special incentive उन्हें भी मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि इससे भी हमारे डॉक्टर्ज की कमी पूरी होगी।

मुख्य मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जे0आर0 की 36 पोस्टें हमारे चम्बा मैंडिकल कॉलेज के अंदर खाली पड़ी हैं और एम0बी0बी0एस0 करके जैसे ही डॉक्टर्ज निकलते हैं तो हमें एक साल के लिए परमिशन मिलती है, हमें भी यह परमिशन दी जाए ताकि एम0ओज0 जो होते हैं उनको जे0आर0 के तौर पर जिला चम्बा में मैडिकल कॉलेज में पोस्ट किया जा सके। यही मांग मैं मुख्य मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं।

27.03.2025/1210/बी.एस./एच.के./-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने सदन के संज्ञान में जो विषय लाए हैं, मुझे उम्मीद है कि चाहे यह मंत्रालय स्तर पर हो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी के स्तर पर हों या मुख्य मंत्री जी के लैवल पर हों। जो भी इन विषयों से संबंधित कार्रवाई करनी होगी इनमें निकट भविष्य में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। यहां पर शून्य काल में दो अन्य विषय हैं।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी : उपस्थित नहीं।

माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी : उपस्थित नहीं।

माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर जी ने एक और इश्यू दिया है, Manpower shortage in Deputy Commissioner Office & District Magistrate Office, District Chamba. श्री नीरज नैय्यर जी।

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अभी जो आठ महीने से पटवारी और कानूनगो की पोस्टों को स्टेट लैवल काडर कर दिया है उससे हमारे जिला चम्बा में बहुत सारी दिक्क्तें आ रही हैं। अभी जैसे क्लास-2 और क्लास-3 का स्टाफ है, जब से यह पॉलिसी बनी है तकरीबन हमारे 15 लोग डी0सी0 ऑफिस से ट्रांसफर हो करके बाहर चले गए हैं और हमारा डी0सी0 ऑफिस तकरीबन खाली हो गया है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

27.03.2025/1215/DT/**एच0के0 -1**

श्री नीरज नैय्यर ... जारी

और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत कार्यरत हैं, वे भी जैसे ही दो वर्षों की अवधि पूरी करेंगे, वे भी चले जाएंगे। पहले उन्हें सर्व करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें विकल्प मिल गया है। यदि जिले की स्थिति देखें, तो यहां के बहुत कम लोग इन पदों के लिए योग्य माने जाते हैं। पहले इन पदों की भर्ती सब-ऑर्डिनेट बोर्ड के माध्यम से होती थी, लेकिन अब प्रक्रिया बदल गई है। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि चंबा क्षेत्र की विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस नीति पर पुनर्विचार करें। जब इन पदों के लिए साक्षात्कार होते हैं तो हमारे जिले के बहुत कम लोग सफल होते हैं, जबकि अधिकतर चयनित अभ्यर्थी अन्य जिलों से होते हैं। मुझे नहीं पता कि हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में यह नीति कितनी प्रभावी है, लेकिन हमारे क्षेत्र में इसका यह प्रभाव हुआ है कि सरकारी कार्यालय लगभग खाली हो गए हैं। यदि कोई पोस्टिंग की भी जाती है तो कम से कम स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। वर्तमान स्थिति यह है कि आदेश एक दिन में जारी होते हैं और अधिकारी तुरंत कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं, जिससे पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से, डी0सी0 ऑफिस से केवल आठ महीनों में 15 लोग स्थानांतरित हो चुके हैं। स्थिति यह हो गई है कि उच्च पदस्थ अधिकारी तो रह गए हैं, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारी बड़ी संख्या में स्थानांतरित हो गए हैं।

Speaker: This is a specific issue relating to the District Cadre. You should have specifically mentioned that District Office staff was in a District Cadre post and now it has become a State Cadre post. In view of that, most of the employees have got them transferred out of district Chamba and may be from the other districts also. This has resulted in lot of vacancies in district Chamba. So, in any case, if any, transfer is to be done from Chamba district at least substitute may be provided over there; unless the substitute is not provided the fellow should not be relieved. The Hon'ble Chief Minister may take it at the Government level as Chamba has hard tribal areas like Pangi, Bharmaur etc. This is an issue of Point of Order. अब श्री केवल सिंह पठानिया अपना विषय रखेंगे।

27.03.2025/1215/DT/एच0के0 -2

धर्मशाला-शिमला नेशनल हाइवे पर पड़े गड्ढों की स्थिति बारे।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से लोक निर्माण मंत्री से अनुरोध है कि इस विषय पर ध्यान दें। मैंने पिछले सत्र में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था कि शिमला-धर्मशाला सड़क में बाघल होटल से आगे एक गड्ढा था जिसको लोक निर्माण विभाग ने भर दिया है। उस सड़क मार्ग से 80 प्रतिशत विधायक शिमला आते हैं। उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जब हम धर्मशाला से शिमला की ओर आते हैं तो नौणी तक तो हम गाड़ियों में सो कर आ सकते हैं लेकिन 32 गड्ढे ऐसे हैं जोकि कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। मैंने पिछले साल भी यह प्रश्न प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से उठाया था मैं चाहता हूं कि नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर और संबंधित अधिकारी से इस विषय को उठाया जाए ताकि इससे जनता को राहत मिल सके और यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके।

अध्यक्ष : मेरा मानना है कि सरकार, विभाग और मंत्री जी इस विषय पर कड़ा संज्ञान लेंगे और एन0एच0ए0 आई0 अथोरिटी से इस विषय को टेकअप करेंगे। अब श्री राम कुमार जी अपना विषय रखेंगे।

27.03.2025/1215/DT/एच0के0 -3

हिमाचली नागरिकों द्वारा बिल्टअप स्ट्रक्चर किराये पर देने के संदर्भ में धारा-118 के तहत लगी पाबंदी हटाने बारे।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं धारा 118 की पाबंदी जो बिल्टअप स्ट्रक्चर के ऊपर हिमाचली नागरिकों पर लागू है, वह अनुचित है। यदि कोई हिमाचली नागरिक भूमि खरीदना चाहता है, तो उस पर यह पाबंदी लगाना समझ में आता है, लेकिन किराए पर बिल्डिंग देने के मामले में इस कानून को लागू करना अनावश्यक है। मैं मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस पाबंदी को हटाया जाए, ताकि हिमाचल के

नागरिकों को अपने ही राज्य में अवसंरचना से जुड़े कार्यों में अनावश्यक बाधाओं का सामना न करना पड़े।

(विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य माननीय सदन में पुनः वापिस आए)

अध्यक्ष : मंत्री महोदय इसके बारे में संज्ञान लेंगे और इसका विस्तृत उत्तर माननीय सदस्य को देंगे तथा सदन को भी अवगत करवाएंगे। अब कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा जारी ...

27.03.2025/1220/YK/PB/-1

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 (वित्त लेखे खण्ड-I एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार।

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री जी कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत डॉ0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, निदेशक/प्रधानाचार्य, ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः ईडीएन (टीई) ए(3)-2/2022, दिनांक 29.07.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 07.08.2024 को प्रकाशित; और

27.03.2025/1220/YK/PB/-2

(ii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा-40 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित)।

27.03.2025/1220/YK/PB/-3

सदन की समिति के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2024-25), लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का 115वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 30वें मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा मत्स्य पालन विभाग से सम्बन्धित है;

2. समिति का 116वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 31वें मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा मत्स्य पालन विभाग से सम्बन्धित है;
3. समिति का 374वां मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) पर बना 196वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है;

4. समिति का 187वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बना 41वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट
सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है; और

5. समिति का 184वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) पर बना 34वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है।

27.03.2025/1220/YK/PB/-4

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया कार्य-सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करेंगे और प्रस्ताव करेंगे कि उसे अंगीकार किया जाए।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपक अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि इसे अंगीकार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है?

प्रस्ताव स्वीकार

27.03.2025/1220/YK/PB/-5

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री जी हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) पुरःस्थापित हुआ।

27.03.2025/1220/YK/PB/-6

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल आप कुछ पूछना चाहते है।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बजट चर्चा के दौरान भी यह विषय उठाया था कि मेरे सुंदरनगर विधान सभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के साथ खनन व कटिंग हो रही है, मैंने इस विषय को मंत्री जी के ध्यान में भी लाया था और आज मुख्य मंत्री जी भी सदन में है। वहां पिछले 6 महीनों से लगातार खनन हो रहा है। मैंने इस पर प्रश्न भी पूछा था और प्रश्न के जवाब में आया था कि वह प्राइवेट लैंड है और वहां होटल तथा प्लॉट बनाने के लिए अनुमति दी गई है। अध्यक्ष महोदय, जहां कटिंग हो रही है उसके साथ लोगों के घर भी है और प्रदेश के शक्ति पीठ माता शीतला जी का मंदिर भी है। इस खनन से उन घरों को खतरा हो गया है। उस क्षेत्र में कुछ समय पहले एक मृत्यु हुई थी और जब मैं उस परिवार से मिलने गया तो उन्होंने यह चिंता जाहिर की है कि इस कटिंग से घरों में दरारें आ गई हैं।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

27.03.2025/1225/Y.K/A.P/1

श्री राकेश जम्वाल जारी ....

उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय प्रशासन को भी कहा और स्थानीय प्रशासन को कहने के बावजूद भी वहां पर वह खनन का कार्य नहीं रुक रहा है। प्राइवेट लैंड से खनन करके उसको बचा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां से मटेरियल निकालकर क्रशरों को बेचा जा रहा

है। यह कार्य 15 दिन, एक महीना,दो महीने से नहीं, बल्कि पिछले 6 महीने से किया जा रहा है। इसकी वजह से वह सड़क भी टूट गई है। वहां पर चार-पांच जे.सी.बी., पोकलेन लगातार वहां पर लगी हुई है। वह दिन में लगभग 50 से 100 टिप्पर पत्थर के वहां से निकाले जा रहे हैं। इसके कारण सरकार का रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा लोगों के घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। इसके अतिरिक्त शक्तिपीठ जैसे मंदिरों को भी खतरा पैदा हो गया है। अन्साइअन्टिफिक तरीके से जो कटिंग की जा रही है, अगर उसका दृश्य भी आप देखेंगे तो आपको भी डर लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जो खनन व कटिंग वहां पर हो रही है उसके कारण वहां के स्थानीय लोगों को खतरा पैदा हो गया है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा विभाग के जिन अधिकारियों ने यह प्रश्न का जवाब दिया है उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए और उस खनन के कार्य को जल्दी-से-जल्दी रोका जाए। इसके अतिरिक्त जितना खनन किया गया है उसकी पैमाइश करके उतना रेवेन्यू सरकार के कोष में जाए, ऐसा मेरा निवेदन माननीय मुख्य मंत्री जी से रहेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया ।आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.03.2025/1225/Y.K/A.P/2

अध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री जी ।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने मुझे पर्सनली भी इस बात का जिक्र किया था और इन्होंने इस पर प्रश्न भी लगाया था। इस प्रश्न में माननीय सदस्य को जवाब भी दिया गया है। जो यह व्यक्ति खनन कर रहा है, वह रेजिडेंशियल प्लॉट्स बनाने के लिए उसने परमिशन विभाग से ले रखी है। मुझे एक्जेक्टली याद नहीं रहा है, शायद 3000 टन की परमिशन खनन के लिए ली है। इस कार्य के लिए उसने कोई आधे से ज्यादा रॉयल्टी भी विभाग को जमा करवाई है। जिसका आप यहां पर जिक्र कर रह हैं कि किसी को कोई नुकसान हो रहा है या खतरा हो रहा है, अगर ऐसी कोई बात है तो हम उसको एग्जामिन करेंगे और उस काम को बंद करवाएंगे। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में उसने वहां से पत्थर निकला है। उसका हम नाप करवाएंगे, अगर उसके द्वारा ज्यादा पत्थर निकाला गया होगा तो उससे हम रिकवर भी कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने एक कार्य

यह भी किया है कि मान लो कोई व्यक्ति अपने रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए, ग्राउंड के लिए या कोई ओर काम के लिए अनुमति विभाग से अप्लाई करता है, अगर उसका का विभाग को जेनुइन लगे तो ही हम उसको परमिशन देते हैं। जो नॉर्मल क्रशर वाले ठेकेदार हैं हम उनसे 80 रुपये प्रति टन लेते हैं। मगर ऐसे लोगों से हमने 75 प्रतिशत बढ़ाकर अब 140 रुपये प्रति टन ले रहे हैं। जिसका माननीय सदस्य सदन में उल्लेख कर रहे हैं। अगर वहां से ज्यादा पत्थर निकाला गया होगा तो हम उसकी इंक्वायरी करेंगे और आस-पास के इलाके को कोई इससे खतरा होगा तो उसके लिए हम उचित करवाई करेंगे।

27.03.2025/1225/Y.K/A.P/3

श्री राकेश जम्वाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अश्वस्त नहीं किया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस खनन के लिए विभाग ने परमिशन दी है। लेकिन अन्साइअन्टिफिक तरीके से खनन करने की नहीं दी गई है। जिस प्रकार से वहां परमिशन दी गई है। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूं, मेरे फोन में वह वीडियो इस समय उपलब्ध है। चार-से-पांच मशीनें वहां पर लगी हुई है। जिस प्रकार से पहाड़ी को काटा जा रहा है। अब अनुमति विभाग द्वारा दी गई है चाहे वहां पर कोई प्लॉट बनाए, घर बनाए या होटल बनाए, उसमें किसी को कोई शंका नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर कटिंग हुई है, मेरा यह कहना है कि उससे लोगों के घरों को खतरा पैदा हो गया है, लोग दहशत और डर में हैं। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि इस कटिंग को तुरंत रोका जाए। इसके अलावा जितनी कटिंग वहां हुई है, उसकी असेसमेंट विभाग करें ताकि सरकार को रेवेन्यू भी आए। जिन लोगों के घरों को खतरा पैदा हुआ है, वह लोग वहां पर रात भर सो नहीं रहे हैं। क्योंकि दिन-रात वहां पर चार-चार मशीन जोरों से लगी हुई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह व्यक्ति किसी पार्टी का है या किसी दल का है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है कि वहां के लोगों को इस से खतरा पैदा हुआ है, उसकी चिंता सरकार करें ऐसा मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने कहा है तो, हम तुरंत उस काम को बंद कर देंगे। विभाग की ऐसी कोई मन्शा नहीं है कि किसी को खतरा हो। अगर उसकी इंटेंशन गलत होगी, तो विभाग उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। जो उस व्यक्ति के द्वारा

एक्सेस पत्थर निकाले गये होगें तो वहां पर उसको नाप करके हम उससे रिकवरी करेंगे। आज से हम उस काम को तुरंत बंद कर देंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज प्राइवेट मेंबर्स डे है और आज पहले से ही गैर सरकारी संकल्प, यहां पर चर्चा में है। माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी के द्वारा इस सदन में सरकार से सिफारिश करता है। ...(व्यवधान) कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से नशे के उन्मूलन रोकथाम हेतु यह सदन नीति बनाने पर विचार करें। उस संकल्प पर आगे चर्चा चल रही है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

27.03.2025/1230/at/ AG/1

अध्यक्ष जारी ....

और लगभग 12 माननीय सदस्य इसमें हिस्सा ले चुके हैं। कैप्टन रणजीत सिंह उस दिन बोल रहे थे लेकिन वे पूरी बात समाप्त नहीं कर पाए थे तो मैं दोबारा से उनसे आग्रह करूंगा कि वे इस संकल्प के विषय में विचार रखें ।

कैप्टन रणजीत सिंह राणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक पठानिया जी ने नशे के ऊपर नीति बनाने के लिए जो संकल्प पत्र पेश किया, इस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नशे की समस्या पूरे देश की है लेकिन अब हिमाचल में भी नशा जोर पकड़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार ने प्रमुख कार्य किए हैं। जैसे नशा मुक्ति केंद्र बनाने का वायदा किया है, टास्क फोर्स बनाने का, जिससे नशीले पदार्थों को रोका जाए। उस पर अभी तो कानून भी बना दिया है लेकिन इसमें कुछ सुझाव मेरी तरफ से भी हैं कि पंजाब बॉर्डर से लगने वाले रास्तों को सील किया जाए और जो हिमाचल का बॉर्डर पार करके मजदूरी या नौकरी करने भी जाते हैं उनकी भी निगरानी रखी जाए या फिर कभी-कभी तलाशी भी ली जाए । इससे लोगों में डर पैदा होगा और उन्हें पकड़े जाने का डर होगा । जिनकी ड्यूटी बॉर्डर एरिया पर लगाई जाती है, उनकी जल्दी ही ट्रांसफर की जाए और जो कर्मचारी वहां पर अच्छी ड्यूटी करें और नशा विरोधियों को

पकड़े, उन्हें सम्मानित किया जाए। पंचायत में ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो नशे के कारोबार में शामिल हैं और ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने अपना नक्शा मुक्ति केंद्र खोला है। उन पर नजर भी रखी जाए, वे भी पैसे कमाने के चक्कर में वहां पर लोगों को नशे करवाते हैं और पैसे कमा रहे हैं। पंचायत लैवल पर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जिसमें नशे के बारे में बताया जाए। इसमें पंचायत की महिला मंडलों को बुलाया जाए। पंचायतों में एक महीने में दो कोरम होते हैं। इनमें बुलाकर महिला मंडलों को नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया जाए। माता-पिता अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करें और उनकी कैसे काउंसलिंग करें ताकि वे नशे से दूर रहें, यह कार्रवाई भी पंचायती लेवल पर होनी चाहिए। बच्चों को खेलों के बारे में

27.03.2025/1230/at/ AG/2

जागरूक किया जाए। स्कूलों में एक पीरियड स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए रखा जाए । इसमें बच्चों को ग्राउंड में खेलने का मौका दिया जाए। उदाहरण के तौर पर जैसे एक कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 10-10 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाए और उसमें बच्चों को उनकी सेहत व रुचि के हिसाब से खिलाया जाए। इसके लिए शुरू में बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं है। कबड्डी, हॉकी, बास्केट बॉल, बैडमिंटन के बारे में ट्रेनिंग दी जाए। इसमें कक्षा एक से पांचवी कक्षा के बच्चों पर ज्यादा जोर दिया जाए और स्पोर्टस का सब्जेक्ट जरूरी किया जाए। ओपन जिम लगाया जाए, स्कूलों के नजदीक बीड़ी, सिगरेट, गुटका आदि बेचने पर जुर्माना होना चाहिए। चिट्टे के केस में फंसने वाले लोगों की सहायता के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य को आगे नहीं आना चाहिए। पंचायत लैवल पर भी खेलों को करवाया जाए। पी0टी0आई0 वह व्यक्ति रखा जाए जो खुद स्पोर्ट्समैन हो, वह स्पोर्टस के बारे में खुद जानता हो कि स्पोर्टस को कैसे खिलाया जाए। अंत में मैं बताना चाहता हूं कि इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ें। नशे को समाप्त करने का हम सभी सहयोग करेंगे तो नशा दूर हो सकता है और इसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती एम0 डी0 द्वारा जारी …..

27.03.2025/1235/AG/MD/1

अध्यक्षः इससे पहले कि अगले वक्ता को आमंत्रित करुं I will request the Whips of both the sides to please maintain the quorum, otherwise I have to adjourn the House. Shri Sanjay Rattan ji.

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री केवल सिंह पठानिया जी ने इस माननीय सदन में जो संकल्प लाए हैं, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। आज के समय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है जैसे कि पूरे देश में नशा फैल रहा है वैसे ही हिमाचल प्रदेश भी इसकी गिरफ्त में धीरे-धीरे आ रहा है। मैं मुख्य मंत्री महोदय, जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने यह बिल लाए हैं जैसे कानून बना रहे हैं और कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय, जी के ध्यान में दो-तीन चीजें लाना चाहता हूं कि जब किसी कॉम को खत्म करना होता है या किसी देश-प्रदेश को बर्बाद करना होता है तो उसके जो नागरिक,नौजवान होता है उसको किसी न किसी गलत आदत में डाला जाता है। इससे उस समाज को खत्म करने का एक स्लो-प्वाइजनिंग जिसको कहते हैं उसके जरिए वह प्रयास किया जाता है। आज यही चीज हिंदुस्तान में हो रही है। पंजाब हमारे साथ लगता प्रदेश है। पहले कितने अच्छे नौजवान हुआ करते थे। आज आप पंजाब के जनरेशन को ही देख लो न तो उनकी सेहत है और न ही कद है क्योंकि वे सब नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। हमारे प्रदेश की तरफ भी यह धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और खास करके यह नौजवानों से नहीं बल्कि बच्चों से शुरू हो रहा है। इसके ऊपर हमें विचार करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके बच्चों को खेलों के प्रति जागरुक करें और अपनी पॉलिसी को एंमेंड करवाकर उसको और ज्यादा सुदृढ़ करवाकर हम प्रदेश में एक अच्छी कंपनी खेल पॉलिसी की लाएं। जिससे

बच्चे खेल के प्रति अपनी रुचि लें और ध्यान दें। जैसे अभी माननीय सदस्य, श्री कैप्टन रणजीत सिंह राणा जी ने कहा कि स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन के टीचर अच्छे होने चाहिए। जिनका फिजिकल एजुकेशन का ज्ञान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय, जी से भी निवेदन करना चाहूंगा की मैक्सिमम

27.03.2025/1235/AG/MD/2

स्कूलों में आज पी0टी0आई0 की पोस्टें खाली हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे स्कूलों में पी0टी0आई0 होते थे और वह हमें स्कूलों में सवेरे प्रेयर में पी0टी0 करवाते थे। हमारे स्पोर्टस का पीरियड भी वह लेते थे और बच्चे परिश्रम करते थे,थकते थे थक कर वह पढ़ाई भी करते थे, खेलते भी थे तथा घर जाकर वह आराम करते थे। आज बच्चों के पास स्कूल में खेलने के लिए कोई पी0टी0आई0 अवेलेबल नहीं है तो जो पोस्टें है खाली पड़ी हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए ताकि बच्चों का एक स्पोर्टस का पीरियड भी लगे। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे बॉर्डर्स सील होने चाहिए। बॉर्डर पर ही हमारी अगर पुलिस चौकना रहकर वहां से नशे को एंटर न करने दे तो यह सबसे बड़ा काम है वह हम कर सकते हैं। एक मुख्य मंत्री महोदय, जी के ध्यान में बात लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कुछ एनजीओस ऐसे हैं जिनमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सारे बाहरी लोग हैं। वह एनजीओस डि-एडिक्शन सेंटर्स खोलने जा रही है। वह अधिकारियों और पंचायतों से एनओसी लेते हैं। कई बार लोग पैसे के लिए अपनी बिल्डिंग को किराए पर देने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि गांव में अगर उनकी बिल्डिंग में उनको 10000 से 50000 रुपये तक का किराया पर मंथ मिल जाता है तो उसकी आड़ में वह अपनी बिल्डिंग दे देते हैं। उनको यह पता नहीं होता है कि वह हमारा लोकल हिमाचली एक-आधे आदमी को एनजीओ में डाल लेते हैं। उनको यह पता नहीं होता कि इसके अभी इसके दुष्प्रभाव क्या है। हाल ही में मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक सुरानी में एक एनजीओ ने परमिशन मांगी मैंने उसको रोका क्योंकि ऐसी जो प्राइवेट एनजीओ हैं ये एनजीओ बच्चों को नशे में सम्मिलित करती हैं। पहले तो ये लोग आते हैं, आकर बताएंगे कि हम डि-एडिक्शन सेंटर खोल रहे हैं और उसकी वजह से बच्चों को इस चीज से दूर करेंगे।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

27.032025/1240/केएस/डीसी/1

श्री संजय रत्न जारी ---

लेकिन वे उनको कुछ समय के बाद आदत डालते हैं क्योंकि अगर डी-एडिक्शन सेंटर में कोई भर्ती नहीं होगा तो उनकी आमदन कैसे होगी? वे 50 हज़ार रुपये बिल्डिंग का किराया कैसे देंगे और खर्चों को कैसे पूरा करेंगे? मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो प्राइवेट एन0जी0ओज़0 हैं, उनको इसकी अनुमति न दी जाए। आप सरकारी तौर पर डी-एडिक्शन सैंटर खोलें और यह जिले में एक-एक ज़रूर होना चाहिए, यह मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपने बहुत सी व्यवस्थाएं बदली हैं। जैसे ये कानून लाए कि जो नशे में संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

(विपक्ष के माननीय सदस्य डा0 हंस राज, श्री राकेश जम्वाल और डॉ0 जनक राज सदन में वापिस आए।)

अध्यक्ष जी, मेरा पुलिस के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से आर्मी में पांच साल आर्मी की युनिट बॉर्डर पर रहती है और पांच साल वह पीस में रहती है तो क्यों न हम भी एक बदलाव करके पुलिस में भी यह बदलाव लाएं कि पांच साल एक व्यक्ति बटालियन में रहेगा और पांच साल पुलिस स्टेशन में रहेगा। अगर वह बटालियन में रहेगा तो उसकी सेहत भी ठीक रहेगी। हमारे पुलिस के कुछ कर्मचारियों की सेहत भी खराब हो चुकी है क्योंकि वे 30-30 साल से थानों में ही घूम रहे हैं और एक व्यक्ति बटालियन में ही रह रहा है। उसको थाने में आने का मौका ही नहीं मिलता। तो यह जो नैक्सस बन जाता है कई बार उसको भी हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। जिस तरह से आर्मी में पांच साल के लिए पीस और पांच साल के लिए बॉर्डर, सेम एनालॉजी पर पुलिस में भी एक बड़ा बदलाव किया जाए कि पांच साल तक व्यक्ति बटालियन में और पांच साल तक पुलिस में रहेगा, यह मैं कहना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि जो दो-तीन सुझाव मैंने दिए हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय इन पर गौर करेंगे और हम इसमें काम करके जो हमारी जनरेशन नशे में संलिप्त

हो रही है, उसको अपने प्रभावी कदमों से बचाएंगे और हिमाचल को इस नशे की गिरफ्त से बाहर निकाल कर हम हिमाचल प्रदेश में अच्छे नागरिक पैदा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.032025/1240/केएस/डीसी/2

अध्यक्ष : वैसे तो इस विषय पर काफी डिटेल्ड डिस्कशन हो गई है। अभी भी मेरे पास दो-तीन नाम और आए हैं। इस पर बिल भी आ रहा है, आप बिल पर भी बोल सकते हैं। कल बिल कंसीडरेशन पर आएगा ही तो जो बाकी माननीय सदस्य बोलने को बच गए हैं, उस पर बोल लेना। मेरे पास सर्वश्री हरदीप सिंह बावा, सुरेश कुमार, कुलदीप कुमार और श्री राकेश जम्वाल जी का चिट भी आया है। अगर आप सभी की सहमति हो, जम्वाल जी, कल आपने बिल पर बोल लेना। कल बिल पर ज्यादा इफैक्टिव रहेगा। ...(व्यवधान) जम्वाल जी, मेरी बात तो सुन लो। अगर जो आप बोलना चाह रहे हैं, अगर आपको कल लगता है कि एक्ट के अंदर वह कवर नहीं है तो आप उसमें अमैंडमैंट भी ला सकते हैं। ऑब्जैक्ट एण्ड रीजन पर बोल सकते हैं। चलो, ठीक है। माननीय राकेश जम्वाल जी।

श्री राकेश जम्वाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक केवल सिंह पठानिया जी बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प ले कर आए हैं कि नशे के उन्मूलन और रोकथाम हेतु यह सदन स्थायी नीति बनाने पर विचार करें। अध्यक्ष महोदय, नशे के साथ-साथ ड्रग्ज़, नशा तो वैसे शराब भी नशा है,उसको तो हम लाइसैंस दे कर शराब बेचने की अनुमति देते हैं लेकिन चिंताजनक विषय ड्रग्ज़ का है। संजय रत्न जी ने ठीक कहा कि किसी देश को अगर खत्म करना हो तो उसकी युवा पीढ़ी को ऐसे नशे की लत से जोड़ दो ताकि वह देश धीरे-धीरे खत्म हो जाए। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बड़ी लम्बी चर्चा हो गई है। मैं अपने कुछ सुझाव यहां पर रखना चाहता हूं। ड्रग्ज़ एक सिंथेटिक नशा है। इसको लेकर बहुत से परिवार जिनको यह जानकारी भी मिल जाए कि हमारा बच्चा चिट्टे में संलिप्त है या इस प्रकार का कोई और नशा करता है तो वह परिवार इस बात को समाज से छिपाता है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.03.2025/1245/av/dc/1

श्री राकेश जम्वाल---- जारी

जिसके कारण वह बच्चा/नौजवान धीरे-धीरे इतना आगे बढ़ जाता है कि अंत में उस नौजवान को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। मैंने अपने क्षेत्र में ऐसे अनेकों उदाहरण देखे हैं कि 21 वर्ष का नौजवान, 23 वर्ष का नौजवान या एक ही परिवार के दो-दो बेटे चले गए। लेकिन परिवार के लोग इस बात को एडमिट नहीं करते कि हमारे बच्चे चिट्टे का सेवन या कोई दूसरा नशा करते थे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि कुछ परिवार चाहते हैं कि हम अपने बच्चे का टैस्ट करवाएं क्योंकि पता नहीं चलता है कि हमारा बच्चा नशे में संलिप्त है या नहीं। एक एवॉन किट (Avon Kit) होती है जिसके माध्यम से यह पता चल सकता है कि व्यक्ति कौन-सा नशा करता है। मेरी जानकारी के मुताबिक वह किट केवल आई0जी0एम0सी0 में उपलब्ध है। मेरा यह सुझाव है कि कम-से-कम जिला मुख्यालय पर यह एवॉन किट उपलब्ध होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत महंगी भी नहीं है। मैंने पता किया है और इसकी कीमत लगभग 1600-1700 रुपये हैं और एक किट से लगभग 15-20 लोगों के टैस्ट हो जाते हैं। यह किट अभी केवल आई0जी0एम0सी0 में उपलब्ध है। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह किट हर जिला मुख्यालय के डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि कोई अपने बच्चे का टैस्ट करवाना चाहे तो करवा सकता है क्योंकि परिवार के लोगों को भी पता नहीं चल रहा है कि हमारा बच्चा ड्रग ले रहा है। हम यह भी नहीं मान सकते कि हर चीज सरकार करेगी। इसमें सरकार के अलावा समाज को भी आगे आना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पुलिस भी केस रजिस्टर करती है लेकिन उसमें अधिकतर केसिज ड्रग लेने वाले नौजवानों से संबंधित होते हैं। लेकिन पुलिस विभाग द्वारा वास्तव में सप्लाई करने वाले लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। वे लोग जो हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके लिए सरकार एक सख्त कानून भी बनाने जा रही है और मैं उसके लिए सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। लेकिन पुलिस विभाग को यह आंकड़ा बताना पड़ेगा कि कितने केस सप्लाई करने वालों और कितने ड्रग ग्रहण करने वालों के पकड़े गए। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोग, एन0जी0ओज0 और पंचायतें इस नशे व ड्रग को लेकर जन-जागरण अभियान भी चला रही हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव भी रहेगा कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को भी कोई-न-कोई नीति बनानी चाहिए।

27.03.2025/1245/av/dc/2

इसमें जो एन0जी0ओज0, पंचायतें, विधायक या कोई और व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसके लिए सरकार को कोई नीति बनाकर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। यही मेरा सुझाव रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.03.2025/1245/av/dc/3

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के दृष्टिगत नशे के उन्मूलन/रोकथाम हेतु यह सदन नीति बनाने बारे विचार करे।"

इसमें सत्ता पक्ष से 8 और प्रतिपक्ष की तरफ से 7 लोगों ने भाग लिया। इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया, श्री त्रिलोक जम्वाल, श्री राकेश कालिया, श्री दलीप ठाकुर, श्री भवानी सिंह पठानिया, डॉ0 जनक राज, श्री अजय सोलंकी, डॉ0 हंस राज, श्री भुवनेश्वर गौड़, श्री सतपाल सिंह सत्ती, कुमारी अनुराधा राणा, श्री विपिन सिंह परमार, कैप्टन रणजीत सिंह राणा, श्री संजय रत्न और श्री राकेश जम्वाल ने भाग लिया है।

टी सी द्वारा जारी

27.03.2025/1250/टी0सी0वी0/एच0के0 -1
मुख्य मंत्री ... जारी

अध्यक्ष महोदय, पिछले कल ही हमने इस सदन में दो विधेयक प्रस्तुत किए हैं, जिन पर कल चर्चा होगी और उन्हें पारित भी किया जाएगा। लेकिन यह एक गंभीर विषय है, जिस पर पिछले सत्र में भी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मेरा मानना है कि जब हमारी सरकार आई, तब प्रदेश में नशे की समस्या एक गंभीर रूप ले चुकी थी। उस समय गगरेट या अम्ब के पास एक एन0जी0ओ0 चल रही थी और उनके माध्यम से युवाओं में नशे की लत फैलाई

जा रही थी, जो नशा मुक्ति केंद्र के नाम से संचालित थी । हमारी सरकार ने उस पर कड़ी कार्रवाई की और उस एन0जी0ओ0 को बंद किया।

अध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति को केवल कमरों में बंद करके उसकी नशे की आदत नहीं छुड़ाई जा सकती। प्रदेश में पहली बार हमने सोलन के कोटला बेड में 150 बीघा भूमि नशा निवारण केंद्र के लिए चयनित की । इसके लिए हमने 5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है जिससे वे युवा जो समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें पुनर्वास का अवसर मिल सके। जो युवा नशा करते हैं उनके माता-पिता दुःखी हैं, उनके बच्चों को पुनः परिवार और समाज से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दृष्टि से हमने बेंगलुरु में एक टीम भेजी जो इस दिशा में कार्य कर रही है। इस वर्ष यह कार्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के माध्यम से शुरू किया जाएगा, जिससे प्रभावित लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के प्रयास किए जा सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं , लेकिन जब सरकार सत्ता में होती है, तो उसका यह दायित्व बनता है कि वह इस तरह की बढ़ती समस्याओं पर ठोस कदम उठाए। पिछले 5 वर्षों में युवाओं के बीच नशे की लत तेजी से बढ़ी, लेकिन पिछली सरकार पी0आई0टी0एन0डी0पी0एस0 एक्ट (प्रिवेंशन ऑफ इल्लिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट,) को नोटिफाई नहीं कर पाई, जो एक गंभीर लापरवाही थी। हमारी सरकार ने इस एक्ट को नोटिफाई किया जिससे नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के मन में भय उत्पन्न हुआ है। अब यदि कोई व्यक्ति नशे के व्यापार में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी संपत्ति को जब्त कर नष्ट किया जा सकता है। हम कानून के माध्यम से भी सख्त प्रावधान कर रहे हैं। पी0आई0टी0एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान भी किया जा रहा है। हाल ही में हमने एक नया निर्देश दिया है कि संगठित अपराध पर

नियंत्रण लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसके लिए एक नया विधेयक भी तैयार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखना चाहता हूं। हाल ही में मेरी केंद्रीय गृह मंत्री तथा भारत सरकार के अधिकारियों के साथ इस विषय पर चर्चा हुई। नशे की आपूर्ति में रुचि रखने वाले लोग नए रास्तों की तलाश कर रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर से होते हुए नशे की खेप मंडी, सिराज, आनी आदि क्षेत्रों से गांवों के अंतिम छोर तक पहुंचाई जा रही है। हाल ही में शिमला पुलिस ने नशे की तस्करी में लिप्त एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया, जिससे लाखों रुपये के अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी कड़ी कार्रवाई के कारण नशे के कारोबार में 30 प्रतिशत तक की कमी आई है। जल्द ही एक नया कानून पारित कर इसे और प्रभावी बनाया जाएगा। हमारा उद्देश्य यह है कि नशा कहां से आ रहा है, कौन इसे आगे बढ़ा रहा है और अंततः कौन इसका उपभोक्ता है, इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर कठोर कदम उठाए जाए। पिछले दिनों मेरी सभी एस0पीज0 से बात हुई और मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कुछ 3605 पंचायतें हैं, उनकी मैपिंग की जाए। पंचायत और पंचायत के वार्ड में रहने वाले व्यक्तियों को यह जानकारी होती है कि वहां कौन-कौन व्यक्ति नशे की लत में है और कौन इसका सप्लायर है। हाल ही में विधान सभा सत्र संपन्न होने के बाद इस विषय पर एक बैठक आयोजित की जाएगी। उस बैठक में भी हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

एन0एस0 द्वारा जारी ....

27-03-2025/1255/एन0एस0-एच0के0/1

मुख्य मंत्री ----जारी

मैं इस सदन को यह कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप चाहे पुलिस प्रशासन की तरफ से हो, राजनैतिक रूप से हस्तक्षेप हो, अधिकारिक रूप से कोई हस्तक्षेप करेगा या कोई और भी प्रभावित व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा तो किसी का भी एक प्रतिशत नहीं सुना जाएगा। मैंने ऐसे निर्देश अधिकारियों व एस0पीज0 को दिए हैं। इसमें रिश्तेदारी व भाई-बतीजावाद कुछ नहीं किया जाएगा। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। पूर्व मुख्य मंत्री के विधान सभा क्षेत्र सिराज में कुछ नशाखोर गाड़ी में बैठे हुए थे। लोगों ने उनको पकड़ा। जब तक पुलिस आई उन्होंने उस चिट्टे की पुड़िया को मिट्टी में फेंका और मिला दिया। हमने उस मिट्टी की

जांच करवाई तो पता चला कि वे चिट्टे का इस्तेमाल कर रहे थे। वहां पर भी कोई प्रभावित व्यक्ति था तो हमने उसकी बेल नहीं होने दी। अध्यक्ष महोदय, मैं लिखा हुआ भाषण इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि यह पहले भी इस माननीय सदन के रिकॉर्ड में आ चुका है और मेरे बोलने से दोबारा आएगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी नशे के कारोबार में संलिप्त पाया जाएगा, हमारी सरकार आने वाले एक महीने के भीतर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। मैं कुछ विषय इस सदन में नहीं रख सकता हूं क्योंकि सरकार का दायित्व गोपनीयता बनाए रखना होता है। आप देखेंगे कि उनके खिलाफ कैसे सख्त कार्रवाई की जाएगी? मुझे खुशी है कि अब परिवार के लोग भी यह बताने लगे हैं कि हमारा बेटा नशा करता है और वह घर में मारपीट करता है जोकि पहले छिपाया जाता था । चिट्टे का नशा ऐसा भयंकर नशा है जो अपने माता-पिता के साथ भी लड़ाई करने में विवश कर देता है। ज्यादा पढ़ा लिखा बच्चा भी चोरी करने व छीना झपटी करने पर विवश हो जाता है। इसमें नाइजीरियन सबसे ज्यादा संलिप्त हैं। मैं इसके बारे में एस0पी0, शिमला, सोलन, मण्डी व कांगड़ा से पूछ रहा था। हमने अभी पुलिस स्टेशन्ज में प्राथमिक कार्य दिया कि आप नशाखोरी का अभियान छेड़ें। छोटे झगड़े तो चले रहते हैं। आपका पहला काम यही है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष से इसमें तेजी आई है और अब कुछ जगहों पर यह कमजोर पड़ गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार में रहते हुए इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। सरकार उन पर भी कार्रवाई करेगी। इस संदर्भ में सख्त से सख्त कार्रवाई कानूनों के तहत होगी।

27-03-2025/1255/एन0एस0-एच0के0/2

पिछले कल के दो एक्ट हमारी सरकार की मंशा को दर्शाते हैं कि जो भी व्यक्ति नशाखोरी में सम्मिलित होगा, उसको आजीवन कारावास होगा। आज अखबारों में भी आया है और उसको मृत्युदंड देने का भी प्रावधान किया गया है। क्योंकि हम युवा पीढ़ी को नशे में नहीं धकेल सकते हैं। युवा पीढ़ी भविष्य में किसी-न-किसी रूप में नेतृत्व करेगी, चाहे विधायक, डॉक्टर, टीचर या किसी और रूप में प्रदेश का नेतृत्व करेगी तो हमें उस पीढ़ी को बचाना है। हमारी सरकार पंजाब सरकार व सीमावर्ती प्रदेश सरकारों से लगातार सम्पर्क कर रही है कि नशे के कारोबार को बंद किया जाए। फिरोजपुर वाला रास्ता पाकिस्तान के थ्रू ट्रैवल

हो रहा है और वहां से ज्यादा नशा आ रहा है। ये लोग नशे की आदत कैसे डालते हैं? यह एक रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है कि किसी दोस्त के साथ बैठा कर उसको थोड़ा नशा करवाते हैं और जब उसको नशे की लत लग जाती है तो उसको कैरी करवाते हैं कि तुझे इतने प्रतिशत नशा मिलेगा और तू दूसरे दोस्त को अपना साथी बना। इस तरीके से वे चेन बनाते जाते हैं और नशे की आदत डालते जाते हैं तथा इस ढंग से आगे बढ़ते जाते हैं। सरकार की कार्रवाई इन चेन बनाने वालों के खिलाफ भी जारी है। स्कूल, शिक्षा संस्थान व हरेक संस्थानों की पुलिस और सी0आई0डी0 निगरानी कर रही है और सरकार को रिपोर्ट दे रही है। इसमें थोड़ा और चुस्त-दुरुस्त होने की जरूरत है। मैं यही कहना चाहता हूं। श्री केवल सिंह पठानिया जी नशे के उन्मूलन एंव रोकथाम हेतु प्रस्ताव लाए हैं और इससे पहले भी माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर नशे की रोकथाम हेतु चर्चा की है और कानून व्यवस्था का जो कटौती प्रस्ताव आया था तो उस समय भी चर्चा की है। **मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने वाले समय में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाएगी।** सबने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

27.03.2025/1300/RKS/YK-1

मुख्य मंत्री... जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लें।

अध्यक्ष : तो क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प लेने को तैयार हैं?

श्री केवल सिंह पठानिया : सर, तैयार है।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाए?

संकल्प वापिस हुआ।

अभी हमारे पास दो और संकल्प आए हैं। एक संकल्प माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी का है जो माननीय सदन में उपस्थिति हैं और दूसरा संकल्प श्री बलबीर सिंह वर्मा का है जो

शायद थोड़ी देर में सदन में उपस्थित हो जाएंगे। अब माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि विधवा महिलाओं के जीवन में सुधार लाने हेतु यह सदन नीति बनाने पर विचार करें"।

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि विधवा महिलाओं के जीवन में सुधार लाने हेतु यह सदन नीति बनाने पर विचार करें"। इसके लिए 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। माननीय सदस्य इसमें बोलने के लिए हिस्सा ले सकते हैं। अभी मैं माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी से आग्रह करूंगा कि वे इस संकल्प के माध्यम से अपनी बात रखें।

27.03.2025/1300/RKS/YK-2

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें विधवा महिलाओं के बारे में करना चाहूंगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश में लगभग 4.6 प्रतिशत जनसंख्या यानी 5.6 करोड़ महिलाएं विधवा दर्ज हुई हैं। उसी तर्ज पर अगर हम हिमाचल प्रदेश के आंकड़ों में गौर फरमाएं तो वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारे पास यह आंकड़ा लगभग 3,15,771 विधवा महिलाओं का है। नई जनगणना के बाद अभी आंकड़ों में वेरिएशन भी होगी। मैंने अपने सामाजिक जीवन में जो कुछ देखा है उसके तथ्य मैं यहां रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक विधवा महिला के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। विशेष रूप से गरीब परिवारों में बेटियों की शादियां 18, 19, 20 या 21 वर्ष की छोटी आयु में कर दी जाती हैं। मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के बाद गहरी पीड़ा हुई क्योंकि मैंने कई ऐसी लड़कियों को देखा है जो 19, 20 या 21 वर्ष की आयु में विधवा हो चुकी हैं।

श्री बी0एस0द्वारा...जारी

27.03.2025/1305/बी.एस./वाई के/-1

डॉ0 जनक राज जारी...

जब मैंने ये सारे आंकड़े जुटाए उसके बाद मुख्य रूप से मैंने विधवाओं को दो श्रेणियों में बांटा। एक वे विधवाएं जिनके पास बच्चे नहीं हैं और वे 20-21 साल की उम्र में ही विधवाएं हो गई है और दूसरी वे जिनके पास बच्चें हैं। मुझे लगता है कि इन दोनो वर्गों की जरूरतें अलग-अलग हैं और हमें इन दोनों के लिए अलग-अलग योजनाएं लानी चाहिए। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए विधवा महिलओं के परिवारों से सहमति लेते हुए अगले बजट में विधवा पुनर विवाह योजना को लागू करें। खासकर जो छोटी बच्चियां हैं, जिनकी उम्र 20-22 साल की हैं और वे विधवा हो गई हैं और उनके कोई बच्चे नहीं हैं। उनके लिए सरकार प्रोत्साहन राशि जारी करें। क्योंकि वे बहुत मुश्किल में होती हैं वे अपनी-अपनी छोटी-छोटी चीजों के लिए मोहताज रहती हैं यदि उन्होंने अपने लिए कपड़े भी खरीदने हों तो भी नहीं खरीद पाती हैं। वे ऐसे गरीब परिवार से आती हैं जहां मां-बाप ने छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी और समाज में अक्सर देखा जाता है कि हमारा लड़का बिगड़ गया है, आउट ऑफ ट्रेक चल रहा है और कहा जाता ह कि इसकी शादी करवा दो, शायद ये सुधर जाएगा। परंतु होता उलटा है, शादी करने के बाद उसके ऊपर मां-बाप और समाज का डर होता है वह उससे भी बाहर हो जाता है और वह फिर नशा करके गाड़ी चलाना या दुर्घटना में अपाहिज होना जैसी दिक्कते आ जाती हैं। इस विषय पर बहुत सी बातें हैं। परंतु जो पीड़ा मैंने उन महिलाओं की देखी हैं, मैं उस आधार पर यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो बिना बच्चों की विधवाएं हैं उनके लिए पुनर विवाह योजना लाई जाए।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

जिसमें उनको एकाकी जीवन न काटना पड़े और जो अन्य विधवाएं हैं उनके लिए कोई आजीविका का साधन, कोई प्रशिक्षण, कोई सेल्फ हेल्प ग्रूप बना करके प्रोत्साहन राशि जारी की जाए। इसके अलावा जिन विधवाओं को 1500 रुपये पेंशन दी जा रही है उसे भी बढ़ाया जाए। क्योंकि आज की डेट में 1500 रुपये कुछ नहीं होता अगर उसके पास 2-3 बच्चें हैं तो उसका गुजारा नहीं हो पाता है। उनके लिए अपने बच्चों की फीस भरना

27.03.2025/1305/बी.एस./वाई के/-2

भी बहुत मुश्किल हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, बातें बहुत हैं परंतु वर्तमान परिस्थितियां जो हैं उन परिस्थितियों में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, मैं सरकार से यह

आग्रह करना चाहूंगा कि विधवा पुनर विवाह योजना के लिए आगामी बजट में प्रदेश सरकार कोई पॉलिसी बना करके लाए। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस संवेदनशील विषय पर अपनी बात कहने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

27.03.2025/1305/बी.एस./वाई के/-3

उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी संकल्प का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि हमारी सरकार ने जो महिलाएं विधवा हो चुकी है, उस संदर्भ में बहुत से कार्य किए हैं। विधवा हो गई, अनाथ बच्चे हो गए, जिन्हें Children of the State का दर्जा दिया। हिन्दुस्तान का एक ऐसा कानून हिमाचल प्रदेश ने बनाया जहां बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माताएं नहीं रहती या पिता नहीं रहते हैं। उनको हमने डिफाइन किया और कहा कि उनकी सरकार ही माता और सरकार ही पिता है और उन्हें Children of the State का दर्जा दिया। उनकी 27 साल तक पूरी पढ़ाई का खर्चा और 4,000 रुपये सरकार उनको पॉकेट मनी दे रही है। अभी हम उन्हें एकेडमिक टूअर के लिए भी 15 दिन का हर साल दे रहे हैं। उन्हें गर्मियों के कपड़े अलग और सर्दियों के कपड़े अलग से दे रहे हैं और मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपया भी दे रहे हैं। यदि किसी ने वोकेशनल कोर्स करना है तो 75 हजार रुपया दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने यह पहला कानून बनाया और पिछली दो साल से हम यह सारा काम कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने विधवाओं और एकल नारी की बहुत चिंता की है। मैं कहना चाहता हूं कि विधवा और एकल नारी , त्यक्ता नारी, कई महिलाएं छोड़ दी गई है और पति उनके साथ नहीं रह रहे हैं और वे गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन जी रही हैं। हमारी सरकार ने इसके ऊपर भी एक नीति बनाई। पिछले ही दिनों आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की जिसमें जितने भी विधवाओं के बच्चे हैं एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तीन बेटियां हैं या चार बेटियां हैं। उनकी सारी शिक्षा का खर्च हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। शिक्षा में एक बेटी डॉक्टर बनती है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

27.03.2025/1310/DT/YK-1

मुख्य मंत्री ...जारी

और डॉक्टर बनने का खर्च तो आप जानते ही हैं, आप खुद एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर रहे हैं। अगर उसकी एनुअल फीस 75,000 रुपये है और हॉस्टल का खर्च 60,000 रुपये है तो 75,000 रुपये भी सरकार देगी जब तक उसकी एम0बी0बी0एस0 नहीं हो जाती। अगर वह हॉस्टल में रहती है तो भी 60,000 रुपये सरकार वहन करेगी, जिनकी परिवार की आय अढाई लाख रुपए से कम है, या जिनकी 50,000 की मासिक आय है। कोई भी व्यक्ति यदि विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, जैसे कि लॉ, एम.फिल, या पी0एच0डी0 कर रहा है क्योंकि 27 साल तक PhD हो जाती है। उसे सरकार की तरफ से फेलोशिप भी मिलती है। यह सारा खर्च सरकार ने पिछली बार 'इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना' योजना के तहत नोटिफाई किया था। अध्यक्ष महोदय हमने कई बार देखा है कि विधवा महिलाओं के बच्चे चंडीगढ़ या जिले के कॉलेजों में पढ़ाई करना चाहते हैं। हमने उनके लिए 3000 प्रति माह 10 महीने तक सरकार की ओर से बजट में घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश की सरकार विधवा के बच्चों को पी.जी. का खर्च देगी। हमने कुछ क्रांतिकारी फैसले किए हैं। हमने यह सोचा है कि हमारी संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाए। जब हमने अध्ययन किया, तो पाया कि 70% सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, वेतन, ब्याज और मूलधन में खर्च हो जाते हैं जबकि समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। कई बार विधवाएं हमारे पास आती थीं और कहती थीं कि उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। विधायक उनकी ज्यादा हैल्प नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने पाया कि ऐसा है तो मेडिकल कॉलेज की फीस 75,000 रुपये और हॉस्टल का खर्च 60,000 रुपये कर दिया है। हमारी सरकार 27 साल तक उनका ख्याल रखेगी और उनकी पढ़ाई के खर्चे का समर्थन करेगी। अगर विधवा की बेटी बाहर पढ़ाई के लिए जाती है तो उसे 3000 रुपये प्रति माह दिए जांएगे क्योंकि 10 महीने ही पढ़ाई होगी और दो महीने वह घर पर रहेगी। यह योजना इस बार के बजट में है। अगर अगली बार ऐसे केस होंगे तो आप वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाकर फॉर्म भर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि किसी को कोई कमी लगती है तो अगली बार सवाल उठाकर उसे हमारे ध्यान में ला सकते हैं। हमने विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के लिए 3,00,000 रुपये घर बनाने के लिए दिएं है। हम पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। सरकार ने पुनर्विवाह

27.03.2025/1310/DT/YK-2

की योजना में 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये का प्रावधान किया है। समाज का जो भी वंचित वर्ग है उसे हमें उठाने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारी आर्थिकी इम्प्लॉइज ड्रिवन हो गई है। इस इम्पलॉइज ड्रिवन इकोनोमी में हम रूरल और सोशल सैक्टर में जरूर पैसा देना चाहते हैं। हमने विकलांगों के लिए 4000 रुपये का प्रावधान किया है। अब आप एकल नारी और अनाथ बाल आश्रम के खुद जाकर हालत देखना। हमने यहां भी काफी चेंजिज की हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस संकल्प को वापिस ले लें। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट होकर इस संकल्प को वापस लेते हैं।

डॉ0 जनक राज : उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूं और अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदन की अनुमति है कि इस संकल्प को वापस लिया जाए?

संकल्प वापिस हुआ।

माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा का एक संकल्प है जिसे मैं पढ़ देता हूं- "संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए वृक्षारोपण और जल संरक्षण हेतु यह सदन नीति बनाने पर विचार करें"। माननीय सदस्य अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं।

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांकः 27 मार्च, 2025 **यशपाल शर्मा**
शिमला-171004. **सचिव।**